आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

आपदा प्रबंधन दिवस

28 नवम्बर 2026

जनपद स्तरीय मॉक ड्रिल

ऑरियंटेशन एंड कोआर्डिनेशन कांफ्रेंस–17 नवम्बर 2026

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
36, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान

12 नवंबर 2023–दीपावली के दिन

उत्तरकाशी स्थित सिल्क्यारा सुरंग का लगभग 60 मीटर हिस्सा मलबा गिरने से अवरुद्ध।

41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे

तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू

घटना के तुरंत बाद राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां सक्रिय हुईं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, बीआरओ तथा विभिन्न तकनीकी एजेंसियों को अभियान में लगाया गया।



सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान

‘ऑपरेशन जिंदगी’–जीवन बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने बचाव अभियान को ‘ऑपरेशन जिंदगी’ के रूप में संचालित किया।





सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान

बचाव के लिए एक नहीं, कई विकल्प

एक ही रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय क्षैतिज ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग, बड़कोट छोर से ड्रिफ्ट टनल और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर एक साथ काम किया गया।





सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान

ऑगर मशीन से क्षैतिज ड्रिलिंग

ऑगर मशीन के माध्यम से मलबे के आर–पार पाइप डालने का प्रयास किया गया। मशीन ने काफी दूरी तक ड्रिलिंग की, लेकिन मलबे और धातु की संरचनाओं के कारण गंभीर बाधाएं आईं।

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता

बचाव अभियान में अंतरराष्ट्रीय स्तर के टनल विशेषज्ञों की तकनीकी सलाह ली गई। इनमें ऑस्ट्रेलियाई टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स प्रमुख रूप से शामिल रहे।



'रैट–होल माइनर्स' बने निर्णायक कड़ी

ऑगर मशीन के बाद रैट–होल माइनर्स ने लगभग अंतिम 12 मीटर हिस्से में हाथ से खुदाई की और श्रमिकों तक पहुंच बनाई।

आपदा प्रबंधन दिवस

28 नवंबर 2023–ऐतिहासिक सफलता

लगभग 17 दिनों के अथक प्रयास के बाद 28 नवंबर 2023 को सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।





मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा–घोषणा संख्या 250/2026

सफल रेस्क्यू अभियान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाए जाने की घोषणा की।

आपदा प्रबंधन दिवस–जनपद स्तरीय मॉक ड्रिल का कार्यक्रम

17 नवम्बर 2026	ऑरीयंटेशन एवं कोआर्डिनेशन कांफ्रेंस
25 नवम्बर 2026	टेबल टॉप एक्सरसाइज
28 नवम्बर 2026	मॉक ड्रिल

राज्य स्तरीय कार्यक्रम

28 नवम्बर को मुख्य कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन उपलब्धियों की प्रस्तुति

राहत–बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी

विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र

आपदा प्रबंधन की भविष्य की रणनीति

विभिन्न विभागों एवं संस्थानों की सहभागिता

कार्यालय स्तर

कार्यालयों में आपदा प्रबंधन समिति का गठन

संभावित आपदा जोखिमों का आकलन

अग्निशमन एवं विद्युत सुरक्षा की जांच

आपातकालीन निकासी मार्ग चिन्हित करना

कर्मचारियों को अग्निशमन प्रशिक्षण देना

भूदेव एवं सचेत एप डाउनलोड कराना

विद्यालय स्तर

100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में मॉकड्रिल

चित्रकला, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएं

आपदा प्रबंधन पर वाद–विवाद प्रतियोगिता

पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता

प्राथमिक उपचार एवं सीपीआर प्रशिक्षण

अग्निशमन का व्यवहारिक प्रदर्शन

उच्च शिक्षण संस्थान

आपदा प्रबंधन विषय पर संगोष्ठी

विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान एवं प्रशिक्षण

आपदा प्रबंधन अधिनियम पर चर्चा

प्रधानमंत्री के दस सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा

सेण्डई रूपरेखा पर चर्चा

आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तैयार करना

जनपद स्तर

विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल

आपदा उपकरणों की प्रदर्शनी

पिछले वर्षों की आपदाओं की समीक्षा

उपलब्ध उपकरणों एवं संसाधनों की समीक्षा

आवश्यक उपकरणों की कमी दूर करना स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता

तहसील स्तर

बीडीसी बैठक आयोजित करना

2–3 स्थानों पर मॉकड्रिल / सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम

आपदा जागरूकता रैली

स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण

एसडीआरएफ / एनडीआरएफ विशेषज्ञों की सहभागिता

राहत–बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी

विकासखण्ड स्तर

सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

स्थानीय आपदा जोखिमों की जानकारी

आपदा जोखिम मानचित्र प्रदर्शित करना

स्थानीय स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

एनसीसी, एनएसएस एवं युवा समूहों की सहभागिता

राहत–बचाव एजेंसियों का प्रशिक्षण

ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम स्तर पर आपदा जागरूकता कार्यक्रम

स्थानीय आपदा जोखिमों की पहचान

सुरक्षित निकासी मार्गों की जानकारी

स्थानीय संसाधनों की पहचान

सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

पारंपरिक आपदा प्रबंधन ज्ञान का उपयोग

ग्राम पंचायत स्तर

ग्राम स्तर पर आपदा जागरूकता कार्यक्रम

स्थानीय आपदा जोखिमों की पहचान

सुरक्षित निकासी मार्गों की जानकारी

स्थानीय संसाधनों की पहचान

सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

पारंपरिक आपदा प्रबंधन ज्ञान का उपयोग

स्वास्थ्य विभाग

चिकित्सालयों में मॉकड्रिल

आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करना

चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण

प्राथमिक उपचार एवं आपदा चिकित्सा प्रशिक्षण

स्वास्थ्य आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा

महामारी एवं स्वास्थ्य जोखिमों पर जागरूकता

पशुपालन विभाग

पशु सुरक्षा एवं बचाव प्रशिक्षण

पशुओं की सुरक्षित निकासी की योजना

आपातकालीन चारे की व्यवस्था

पशु टीकाकरण अभियान

पशु चिकित्सकों एवं पशु सखियों का प्रशिक्षण

पशु चिकित्सालयों में मॉकड्रिल

वन विभाग

वनाग्नि जागरूकता कार्यक्रम

वन कर्मियों एवं फायर वॉचरों का प्रशिक्षण

वन पंचायतों को वनाग्नि प्रशिक्षण

फायर लाइन निर्माण का प्रदर्शन

वन्यजीव बचाव का अभ्यास

वनाग्नि उपकरणों की प्रदर्शनी

ऊर्जा / विद्युत विभाग

पावर हाउसों के जोखिमों का आकलन

विद्युत सुरक्षा संबंधी जागरूकता

पावर हाउसों में मॉकड्रिल

परियोजना कर्मचारियों का प्रशिक्षण

अग्निशमन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास

विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा समीक्षा

रिपोर्टिंग एवं प्रचार–प्रसार

सभी कार्यक्रमों की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी

आयोजित गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट

कार्यक्रमों की सूचना यूएसडीएमए को भेजना

आपदा जागरूकता सामग्री का प्रचार–प्रसार

भूदेव एवं सचेत एप का प्रचार–प्रसार

मॉक अभ्यास हेतु संस्थानों का चयन

- ब्लॉक स्तर–प्रत्येक विकासखंड से कम से कम एक विद्यालय चयनित किया जाए। छात्रों तथा शिक्षकों को आपदा से बचाव की जानकारी।

- तहसील स्तर–प्रमुख कार्यालय, औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्रियां, चिकित्सालय एवं महत्वपूर्ण संस्थान शामिल किए जाएं।

- जनपद स्तर–बांध, बैराज, रेलवे/सड़क सुरंग, विद्युत गृह, मॉल, स्टेडियम एवं भीड़–भाड़ वाले संवेदनशील स्थल शामिल किए जाएं।

संवेदनशील संरचनाएं / क्षेत्र









संवेदनशील संरचनाएं / क्षेत्र









संवेदनशील संरचनाएं/क्षेत्र







भूकंप से तबाही का मंजर–उत्तरकाशी 1991









चमोली–1999









मानसून के दौरान संभावित आपदाएं

बाढ़



बादल फटना



भूस्खलन



फ्लैश फ्लड



मानसून के दौरान संभावित आपदाएं

शहरी बाढ़



बांध से जल छोड़ा जाना



हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़



बिजली गिरना



मानसून के दौरान संभावित आपदाएं

सड़क एवं पुल क्षति



नदी कटाव



जलजनित रोग/स्वास्थ्य आपदा



पशु हानि/मानव वन्य जीव संघर्ष



उत्तराखण्ड में पृथक से घोषित आपदाएं

आंधी तूफान



मानव वन्य जीव संघर्ष



सहस्त्रताल रेस्क्यू









Theme of the Mock Drill

Preparedness

Resilience





Coordination

Rapid Response

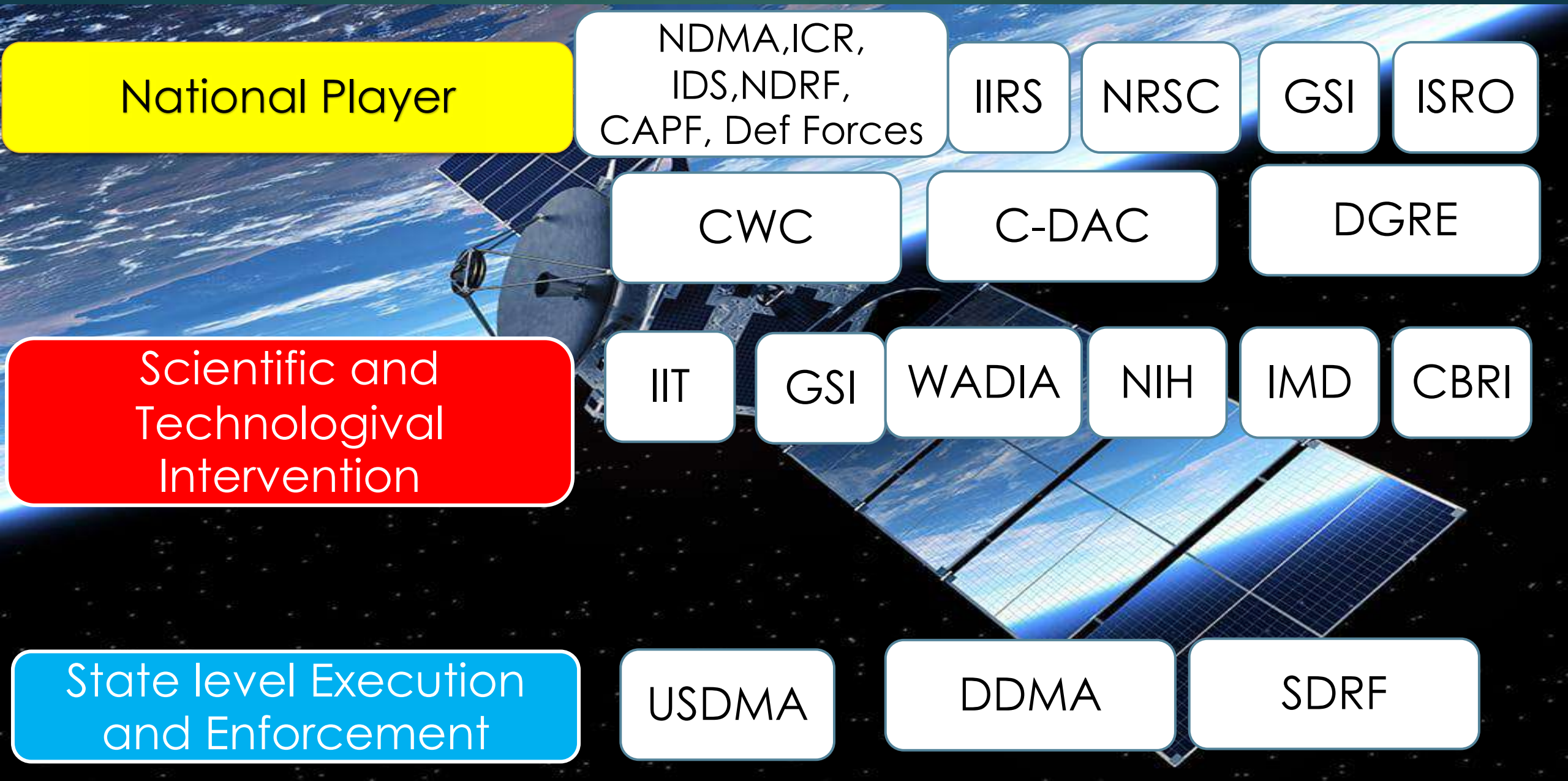
मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दृष्टिकोण में बदलाव

राहत एवं बचाव कार्यों तक ही सीमित नहीं

- जोखिम न्यूनीकरण ***(Risk Reduction)***
- आपदा पूर्व तैयारी ***(Preparedness)***
- पूर्व चेतावनी ***(Early Warning)***
- लचीलापन ***(Resilience Building)***
- जोखिम मूल्यांकन ***(Risk Assessment)***
- क्षमता निर्माण ***(Capacity Building)***

- संसाधन सुदृढ़ीकरण (***Resource Strengthening***)
- बहु–एजेंसी समन्वय (***Multi&Agency Coordination***)
- तकनीकी सशक्तिकरण (***Technology Integration***)

Three Tier-New Paradigm and Strategy



National Player	NDMA,ICR, IDS,NDRF, CAPF, Def Forces	IIRS	NRSC	GSI	ISRO	
	CWC	C-DAC	DGRE			
Scientific and Technologival Intervention	IIT	GSI	WADIA	NIH	IMD	CBRI
State level Execution and Enforcement	USDMA	DDMA	SDRF			

मॉक ड्रिल हेतु चयनित जनपद

राज्य के समस्त 13 जनपद



रेखीय विभाग (Line Departments) तथा विभिन्न एजेंसियां

रेखीय विभाग

- लोक निर्माण विभाग
- अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं
- स्वास्थ्य और चिकित्सा/पशुपालन
- नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड
- सड़क परिवहन
- खाद्य और नागरिक आपूर्ति
- जल आपूर्ति और सिंचाई
- सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
- विद्युत विभाग
- राजस्व
- पुलिस/एसडीआरएफ/पुलिस संचार
- यूकाडा
- स्वयं सहायता समूह

केन्द्रीय एजेंसियां

- सेना, वायुसेना, आईडीएस
- एनडीआरएफ
- सीएपीएफ
- मौसम विभाग/अलर्ट जारी करने वाली एजेंसियां
- हवाई अड्डा प्राधिकरण
- राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
- केंद्रीय जल आयोग
- सीमा सड़क संगठन
- डैम अथारिटी (टीएचडीसी, एनएचपीसी)
- आरवीएनएल/एनएचआईडीसीएल, एनएचएआई
- मॉक अभ्यास क्षेत्र में स्थानीय इकाइयां।
- तकनीकी/शोध/वैज्ञानिक संस्थान
- **TSP's**

मॉक ड्रिल की अवधारणा (The Holistic Concept of ME)

- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय **IRS** तंत्र को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना।
- सभी हितधारकों के मध्य प्रभावी समन्वय एवं सामंजस्य।
- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।
- मॉक अभ्यास के अनुभवों के आधार पर आपदा की स्थिति में प्रभावी तरीके से कार्य किया जाना।



निम्नलिखित घटनाओं पर होगी मॉक ड्रिल

- भगदड़
- खराब मौसम
- बादल फटना
- अचानक बाढ़ आना
- भीड़ नियंत्रण
- टनल दुर्घटना
- तीर्थयात्रियों का फंसना
- चिकित्सा आकस्मिकता
- आग
- भूस्खलन
- इमरजेंसी हैली लैंडिंग
- भूकंप
- रोप–वे दुर्घटना
- GLOF, CBRNE



शीतकाल के दौरान घटित होने वाली आपदाएं

उत्तराखण्ड का जोखिम परिदृश्य-प्रमुख आपदाएं

- बाढ़
- आंधी तूफान
- बादल फटना
- आकाशीय बिजली
- ओलावृष्टि
- भूस्खलन
- हिमस्खलन





- सूखा
- भूकंप
- हीट वेव
- शीतलहर
- अग्नि
- कीट आक्रमण
- मानव वन्य जीव संघर्ष

मॉक ड्रिल का उद्देश्य

1. जनपदों की तैयारियों का परीक्षण करना।
2. आईआरएस प्रणाली के तहत दायित्वों का बोध।
3. विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को परखना।
4. राहत एवं बचाव उपकरणों की उपलब्धता और उपयोगिता की जांच।
5. राहत शिविर संचालन/वहां भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधा को परखना।
6. कमियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाना।

मॉक ड्रिल का उद्देश्य

7. समुदायों की सहभागिता और उनकी प्रतिक्रिया को मजबूत बनाना।
8. संवेदनशील क्षेत्रों की पूर्व.निर्धारित निकासी योजना का अभ्यास करना।
9. चेतावनी तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण।
10. स्वयंसेवकों की भूमिका को सुदृढ़ करना।
11. स्थानीय जोखिम मानचित्रीकरण कर योजना को लागू करना।
12. भविष्य की रणनीति तैयार करने हेतु अनुभव आधारित सीख प्राप्त करना।

मॉक ड्रिल के परिदृश्य

- नदी में जलस्तर अचानक बढ़ना।
- रिहायशी इलाकों में जलभराव/मकानों का डूबना।
- बस/रेलवे स्टेशनों में जलभराव।
- तटबंधों को खतरा एवं वहां से लोगों की सुरक्षित निकासी।
- सड़कों में जलभराव एवं वाहनों का डूब जाना।
- सूखी नदी में अचानक बाढ़।
- आवश्यक सेवाओं का बाधित होना
- स्कूल में बाढ़ का खतरा/बच्चों की निकासी।
- रात में बाढ़ आने का परिदृश्य।
- बाढ़ प्रभावित लोगों को पंचायत भवन/स्कूल में शिफ्ट करना
- प्रभावित लोगों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाना।
- पशुओं की सुरक्षा और गौशालाओं में स्थानांतरण।

मॉक ड्रिल के परिदृश्य

- भूस्खलन से मार्ग बाधित होना। फंसे यात्रियों को भोजन, पानी उपलब्ध कराना।
- भूस्खलन के कारण घरों, दुकानों में मलबा आना तथा सर्च एंड रेस्क्यू अभियान।
- भूस्खलन/बाढ़ के कारण कट–ऑफ हुए क्षेत्रों में लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाना।
- भूस्खलन प्रभावित स्कूल से बच्चों की सुरक्षित निकासी।
- नदी में लोगों का बहना तथा राहत एवं बचाव कार्य।
- जल विद्युत परियोजनाओं से बाढ़ का पानी छोड़ा जाना तथा निचले क्षेत्रों में एलर्ट।
- वाहनों का भूस्खलन की चपेट में आना तथा घायलों का सुरक्षित रेस्क्यू।

मॉक ड्रिल के परिदृश्य

- पुल का टूटना तथा आवागमन सुचारू रखने हेतु बैली ब्रिज की स्थापना।
- भूस्खलन/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का रिलीफ कैंप में स्थानांतरण।
- बोट/राफ्ट के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य।
- घर की छतों से फंसे लोगों का हेली रेस्क्यू।
- मानव वन्य जीव संघर्ष।
- भूस्खलन/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री को एयरड्राप किया जाना।
- भूस्खलन/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों का रेस्क्यू।
- राहत शिविरों की स्थापना तथा वहां आवश्यक सुविधाओं का व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

मॉक अभ्यास हेतु विस्तृत कार्यक्रम

17 नवम्बर 2026	ओरियंटेशन एंड कोआर्डिनेशन कांफ्रेंस
17–24 नवंबर 2026	जागरूकता कार्यक्रम, मॉक साइट/परिदृश्य तय करना
25 नवंबर 2026 टेबल टॉप एक्स	महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ परिदृश्यों पर विस्तृत चर्चा
28 नवंबर 2026	मॉक अभ्यास की धरातलीय तैयारी, एसईओसी/डीईओसी, आईआरटी, आईआरएस को सक्रिय करना। स्टेजिंग एरिया/रिलीफ कैंप/आईसीपी की स्थापना। कमाण्डरों द्वारा निरीक्षण।
28 नवंबर 2026 मॉक अभ्यास	08.30–14.00 मॉक अभ्यास/16.15 बजे डी–ब्रीफिंग

मॉक अभ्यास हेतु विस्तृत कार्यक्रम

17 नवम्बर 2026	ओरियंटेशन एंड कोआर्डिनेशन कांफ्रेंस/एसईओसी
17–24 नवंबर 2026	एसईओसी, डीईओसी से हितधारकों के साथ समन्वय
	उपकरणों की प्रदर्शनी एवं संचालन अभ्यास।
25–27 नवंबर 2026 टेबल टॉप एक्स	मॉक अभ्यास स्थलों का निरीक्षण/आईसीपी की स्थापना, मेडिकल पोस्ट की स्थापना।
28 नवंबर 2026	मॉक अभ्यास तथा सायं को डि–ब्रीफिंग
	एसडीएमपी/डीडीएमपी का विमोचन
05 दिसंबर तक	यूएसडीएमए को रिपोर्ट प्रेषण एवं दस्तावेजीकरण।

टेबल टॉप एक्सरसाइज का एजेंडा

Time	Agenda Item	Speaker/Responsible	Duration
Opening Session			
09:00 AM	Registration and Assembly of Participants in SEOC	USDMA	30 mins
10:00 AM	Arrival of Chief Guest	SEOC, USDMA	
10:05 AM	Opening & Welcome Address	Secretary, Department of Disaster Management & Rehabilitation/ USDMA	10 mins
10:15 AM	Presentation on TTEx on "Preparedness and Response to Multi-Hazard/Disasters"	ACEO (Ops), USDMA	20 mins
10:35 AM	Brief on Scenarios, Planning & Preparedness, Resource Mobilization & Deployment of Task Forces, Coordination and collaboration with all stakeholders	District Magistrate (RO)/Incident Commander (all 13 Districts), Departmental Nodal Officers	3 min each
11:14 AM	Address by the Chief Guest	SEOC, USDMA	
11:24 AM	**Tea Break**		15 mins
11:39 AM	Brief on Preparedness and Response to Various State-Specific Hazards	By stakeholders (IMD, PWD, Police, Traffic Police, SDRF, NDRF, Health, UCADA, Animal Husbandry, Army, Airforce, Education etc.)	3 Mins each
12:12 PM	Table Top Exercise conduct briefing followed by preparation for Mock Exercise	ACEO (Ops), USDMA	58 mins
01:10 PM	Observers' Briefing	ACEO (Ops), USDMA	30 mins
01:40 PM	Concluding Remarks	Secretary, Department of Disaster Management & Rehabilitation/ USDMA	15 mins
01:55 PM	Vote of thanks	ACEO (Admin), USDMA	5 mins
02:00 PM onwards **General Lunch**			

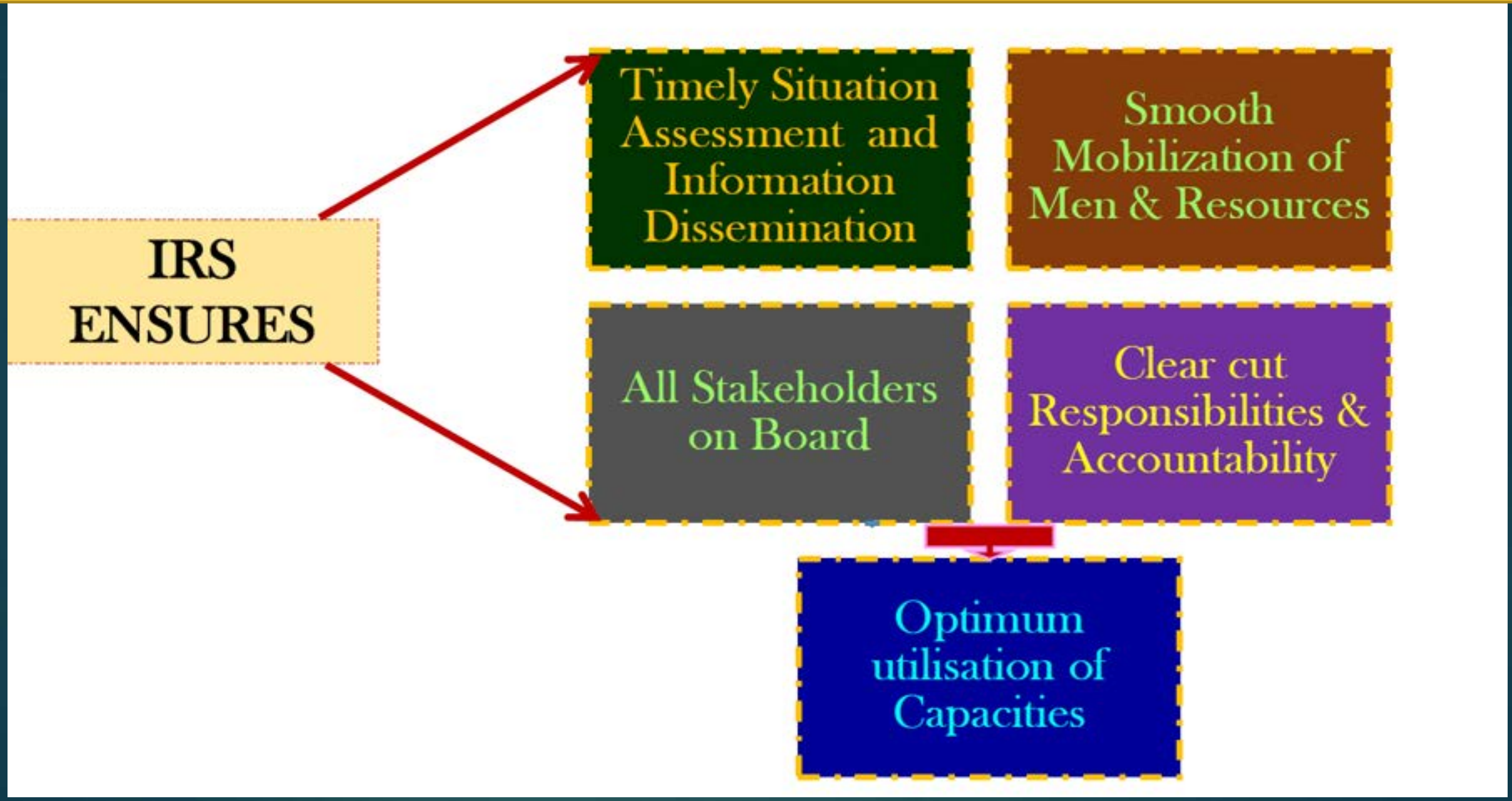
मॉक एक्सरसाइज का एजेंडा

Time	Agenda Item	Speaker/ Responsible	Duration
08:30 AM	Setting up Incident Command Post, Resource Mobilization, Preparation, and Coordination in Staging Areas and Coordination amongst IRTs.	ROs, Incident Commanders (State and District), Incident-specific Nodal Officers, Incident-specific ICs, all pertinent Line Department nodal Officers, DEOC, SEOC & USDMA officials	1 hr
09:30 AM	ME Situational Analysis & Interaction (State, District, and Tehsil IRS System).	ACEO(Ops) USDMA, DDMA, SEOC, DEOC and other Stakeholders	25 Mins
09:55 AM	Arrival of **Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand**	SEOC, USDMA	
10:00 AM	Arrival of **Hon'ble Minister** of Disaster Management & Rehabilitation, Government of Uttarakhand	SEOC, USDMA	
10:05 AM	Arrival of **Vice Chairmen** of the Uttarakhand State Disaster Management Advisory Committee	SEOC, USDMA	
10:10 AM	Opening and Welcome Address	Secretary, Department of Disaster Management & Rehabilitation /USDMA.	5 Mins

मॉक एक्सरसाइज का एजेंडा

10:15 AM	Recap of OCC, TTEx & Brief on Conduct of ME	ACEO(Ops), USDMA.	10 Mins
10:25 AM	Continuation of ME: Scenario-based interaction of **Chief Guest** with District Magistrate(RO), IC on overall ME planning, Situational Analysis (State, District & Tehsil)	District Magistrate(RO) / Incident Commander (all 13 districts)	30 Mins
10:55 AM	Address by **Vice Chairmen** followed by **Hon'ble Minister** of Disaster Management & Rehabilitation.	SEOC, USDMA	
11:25 AM	**Hi-Tea**		20 Mins
11:45 AM	Continuation of ME: Situational Analysis & Role-based Interaction	USDMA, SEOC, DEOC and other Stakeholders	2 Hrs 10 mins
01:55 PM	**General Lunch & Stakeholder Interaction**		
03:25 PM	Debriefing and way forward	Secretary, USDMA, ACEO(Admin), ACEO (Ops), USDMA. District ROs, Chief Observers, Incident Commanders, IRS officials, Other relevant stakeholders	45 Mins
04:10 PM	Closing remarks	Secretary, Department of Disaster Management & Rehabilitation /USDMA.	5 Mins
04:15 PM	Vote of Thanks	ACEO (Admin), USDMA.	5 Mins

आईआरएस की उपयोगिता एवं महत्व



आईआरएस की अवधारणा

आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–6 में व्यवस्था

राज्य, जनपद एवं तहसील हेतु IRS अधिसूचना दिनांक 09.06.2025 को जारी

- स्पष्ट कमांड और नियंत्रण
- विभागीय समन्वय में स्पष्टता
- प्रभावी सूचना प्रवाह और रिपोर्टिंग
- प्रतिक्रिया में दोहराव नहीं रहता
- त्वरित निर्णय लेने में प्रभावी नेतृत्व
- तेज और संगठित रिस्पांस
- भूमिका एवं जिम्मेदारी की स्पष्टता

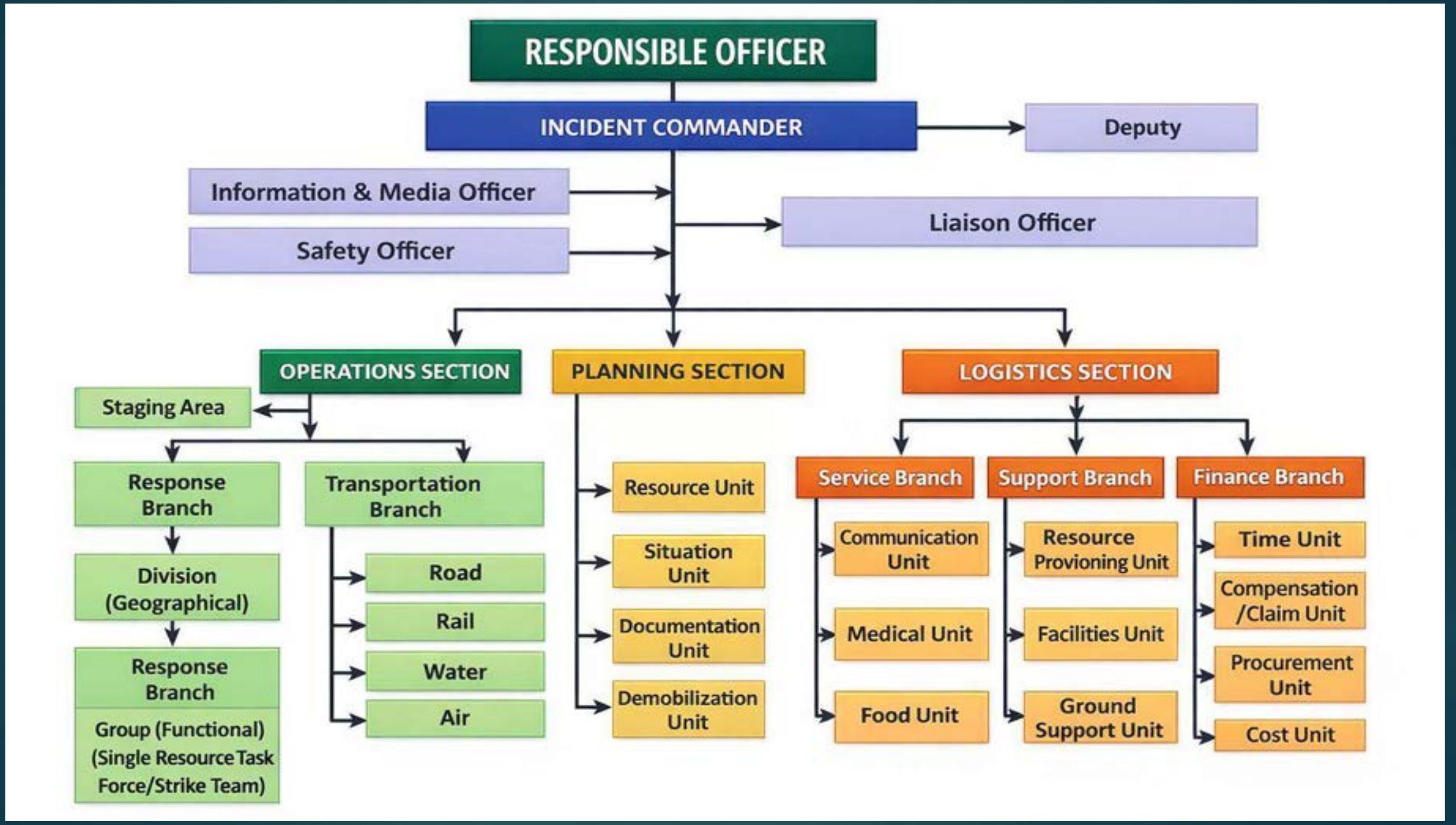
IRS

संसाधनों का सर्वोत्तम और कुशल उपयोग

आपदा के प्रभाव को कम करने तथा जानमाल की क्षति को कम करने का उपयोगी तंत्र।

प्रभावशाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्व




RESPONSIBLE OFFICER
INCIDENT COMMANDER
Deputy
Information & Media Officer
Safety Officer
Liaison Officer
OPERATIONS SECTION
PLANNING SECTION
LOGISTICS SECTION
Staging Area
Response Branch
Division (Geographical)
Response Branch
Group (Functional) (Single Resource Task Force/Strike Team)
Transportation Branch
Road
Rail
Water
Air
Resource Unit
Situation Unit
Documentation Unit
Demobilization Unit
Service Branch
Communication Unit
Medical Unit
Food Unit
Support Branch
Resource Provioning Unit
Facilities Unit
Ground Support Unit
Finance Branch
Time Unit
Compensation /Claim Unit
Procurement Unit
Cost Unit

राज्य स्तरीय आईआरएस प्रणाली–मुख्य शाखा

उत्तरदायी अधिकारी (RO)	घटना प्रभारी (IC)
मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव	प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबंधन
उप घटना प्रभारी (DIC)	सूचना एवं मीडिया अधिकारी
एसीईओ क्रियान्वयन, यूएसडीएमए	सचिव सूचना
समन्वय अधिकारी (LO)	सुरक्षा अधिकारी
जेसीईओ यूएसडीएमए	आईजी अग्निशमन
परिचालन अनुभाग प्रमुख	नोडल अधिकारी हेली सेवा
प्रमुख सचिव/सचिव गृह	एसीईओ यूकाडा

राज्य स्तरीय आईआरएस प्रणाली–मुख्य शाखा

स्टेजिंग क्षेत्र प्रबंधक

सचिव गृह / सचिव खाद्य

परिवहन शाखा निदेशक

सचिव परिवहन

बचाव / प्रतिक्रिया शाखा निदेशक

आईजी / कमांडेंट एसडीआरएफ

योजना अनुभाग प्रमुख

अपर सचिव आपदा प्रबंधन

सेवा शाखा निदेशक

सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

खाद्य इकाई प्रमुख

आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

सहयोग शाखा निदेशक

अपर सचिव राज्य संपत्ति विभाग

राज्य स्तरीय आई0आर0एस0

जिम्मेदार अधिकारी
(मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन)

कमाण्ड स्टॉफ

नोडल अधिकारी (हेली सेवा)
(अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, यूकाडा तथा मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन विभाग।

घटना प्रभारी
(प्रमुख सचिव/ सचिव, आपदा प्रबन्धन)

उप–घटना प्रभारी
(अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन), यूएसडी0एम0ए0
द्वारा सहयोग– समस्त विशेषज्ञ, यूएसडी0एम0ए0)

सुरक्षा अधिकारी
(पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन)

समन्वय अधिकारी
(संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एसडी0एम0ए0 **द्वारा सहयोग–** आई0आर0एस0 विशेषज्ञ, यूएसडी0एम0ए0)

सूचना एवं मीडिया अधिकारी
(सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सहयोग- आई0ई0सी0 विशेषज्ञ यूएसडी0एम0ए0)

जनरल स्टॉफ

परिचालन अनुभाग प्रमुख
(प्रमुख सचिव/सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन)

स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक
(सचिव गृह, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि या अधीक्षण अभियंता और सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अथवा आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी)

बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक
(पुलिस महानिरीक्षक/सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0)

परिवहन शाखा (सड़क, रेल,जल एवं वायु इकाई) निदेशक
(सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
द्वारा सहयोग– परिवहन आयुक्त औरएमडी यूकेटीसी, निदेशक हवाई अड्डा देहरादून)

योजना अनुभाग प्रमुख
अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन **द्वारा सहयोग–** भूवैज्ञानिक, यूएसडी0एम0ए0

परिस्थिति इकाई प्रमुख
(अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन उत्तराखण्ड शासन **द्वारा सहयोग–** मौसम विशेषज्ञ, यूएसडी0एम0ए0)

संसाधन इकाई प्रमुख
(संयुक्त/उप सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

प्रलेखन इकाई प्रमुख
(निदेशक, अर्थ एवं संख्या (नियोजन विभाग) उत्तराखण्ड **द्वारा सहयोग–** समस्त विषय विशेषज्ञ, यूएसडीएमए)

विमोचन इकाई प्रमुख
(अपर सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।)

लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख
(सचिव/अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग **द्वारा सहयोग–** सिविल एवं कन्सट्रक्शन विशेषज्ञ,यूएसडीएमए)

सेवा शाखा निदेशक(
सचिव, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति)

संचार इकाई प्रमुख
(निदेशक, आईटीडीए/राज्य रेडियो अधिकारी, पीएचक्यू, **द्वारा सहयोग–** सिस्टम विशेषज्ञ, यूएसडीएमए)

चिकित्सा इकाई प्रमुख
(महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।)

खाद्य इकाई प्रमुख
(आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

सहयोग शाखा निदेशक
(अपर सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग/ राज्य सम्पत्ति अधिकारी।)

संसाधन प्रदाय इकाई प्रमुख
(वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग)

सुविधायें इकाई प्रमुख
(मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, **द्वारा सहयोग–**जी0आई0 एस0 विशेषज्ञ, यूएसडीएमए,

भूमि समर्थन इकाई प्रमुख
(अपर परिवहन आयुक्त/आरटीओ एवं अपर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

वित्त शाखा निदेशक
(अपर सचिव, वित्त, (वित्त सेवा के अधिकारी))

समय, अधिप्राप्ति /लागत इकाई प्रमुख
(निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं)

मुआवजा/दावा इकाई प्रमुख
(अनु सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास)

जनपद स्तरीय आई0आर0एस0

जिम्मेदार अधिकारी
(जिलाधिकारी)

घटना प्रभारी
(मुख्य विकास अधिकारी)

उप–घटना प्रभारी
(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक)

समन्वय अधिकारी
(जिला विकास अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

कमाण्ड स्टॉफ

नोडल अधिकारी (हेली सेवा)
(अपर जिलाधिकारी, **द्वारा सहयोग–** अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

सुरक्षा अधिकारी
(उप जिला अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी / मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम / अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग)

सूचना एवं मीडिया अधिकारी
(जिला सूचना अधिकारी)

जनरल स्टॉफ

परिचालन अनुभाग प्रमुख
(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक)

स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक
(उप जिलाधिकारी मुख्यालय, **द्वारा सहयोग–** उप–पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी)

बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक
(उप जिलाधिकारी मुख्यालय **द्वारा सहयोग–** वायरलैस अधिकारी / अग्निशमन और आपातकालीन सेवायें / वन / स्वास्थ्य और परिवार कल्याण / एस0डी0आर0एफ0 / रेडक्रांस / भारत स्काउट गाइड / आपदा मित्र / एनसी0सी0 / एन0एस0एस0)

परिवहन शाखा (सड़क, रेल,जल एवं वायु इकाई) निदेशक
(क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी **द्वारा सहयोग–** उप अधिकारी प्रशासन)

योजना अनुभाग प्रमुख
(मुख्य विकास अधिकारी **द्वारा सहयोग–** जिला विकास अधिकारी)

परिस्थिति इकाई प्रमुख
(जिला विकास अधिकारी और विकासखण्ड अधिकारी **द्वारा सहयोग–**जिला पंचायत राज अधिकारी और स्थानीय निकाय प्रभारी)

संसाधन इकाई प्रमुख
(जिला प्रान्तीय रक्षक दल और जिला कमांडेंट होमगार्ड, **द्वारा सहयोग–**जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

प्रलेखन इकाई प्रमुख
(जिला सांख्यिकी अधिकारी **द्वारा सहयोग–** जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी / जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक

विमोचन इकाई प्रमुख
(जिला पंचायत राज अधिकारी)

लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख
(अपर जिला अधिकारी **द्वारा सहयोग–** अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जनपद प्रशासन द्वारा

सेवा शाखा निदेशक
(जिला आपूर्ति अधिकारी **द्वारा सहयोग–** लोक निर्माण विभाग

संचार इकाई प्रमुख
(जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) **द्वारा सहयोग–** डीजीएम/ बीएसएनएल रेडियो अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन अधिकारी)

चिकित्सा इकाई प्रमुख
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी)

खाद्य इकाई प्रमुख
(जिला आपूर्ति अधिकारी)

सहयोग शाखा निदेशक
(मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ), **द्वारा सहयोग–**जिला कार्यक्रम अधिकारी

संसाधन प्रदाय इकाई प्रमुख
(अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **द्वारा सहयोग–** जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक)

सुविधायें इकाई प्रमुख
(अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **द्वारा सहयोग–** जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक)

भूमि समर्थन इकाई प्रमुख
(अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी)

वित्त शाखा निदेशक
(मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ) / वरिष्ठ कोषाधिकारी)

समय, अधिप्राप्ति /लागत इकाई प्रमुख
(कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय **द्वारा सहयोग–** बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टाफ)

मुआवजा / दावा इकाई प्रमुख
(अपर जिलाधिकारी **द्वारा सहयोग–**आपदा प्रबन्धन प्रभारी, उप जिलाधिकारी सदर)

तहसील स्तरीय आई0आर0एस0

जिम्मेदार अधिकारी
(जिलाधिकारी)

घटना प्रभारी
(अपर जिलाधिकारी)

उप–घटना प्रभारी
(उप जिलाधिकारी **द्वारा सहयोग–**विकासखण्ड अधिकारी)

कमाण्ड स्टॉफ

नोडल अधिकारी (हेली सेवा)
(अपर जिलाधिकारी **द्वारा सहयोग–** तहसीलदार एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

सुरक्षा अधिकारी
(सम्बन्धित एसएचओ/एसओ (स्टेशन अधिकारी, पुलिस) **द्वारा सहयोग–** अग्निशमन अधिकारी, वन और स्वास्थ्य विभाग)

सूचना एवं मीडिया अधिकारी
(सहायक सूचना अधिकारी)

समन्वय अधिकारी
(जिला विकास अधिकारी **द्वारा सहयोग–**, सहायक अभियन्ता और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

जनरल स्टॉफ

परिचालन अनुभाग प्रमुख
(सम्बन्धित सी0ओ0 पुलिस)

स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक
(सम्बन्धित एक्सईन, लोक निर्माण विभाग **द्वारा सहयोग–** विकासखण्ड अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी विद्युत विभाग, पशुचिकित्सक/विकासखण्ड अधिकारी)

बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक
(सम्बन्धित तहसीलदार **द्वारा सहयोग–** एसडीआरएफ/अग्निशमन अधिकारी और वन विभाग)

परिवहन शाखा (सड़क, रेल,जल एवं वायु इकाई) निदेशक
(निदेशक/अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन)

योजना अनुभाग प्रमुख
(खण्ड विकास अधिकारी)

परिस्थिति इकाई प्रमुख
(खण्ड विकास अधिकारी **द्वारा सहयोग–** जिला पंचायत राज अधिकारी और सम्बन्धित स्थानीय निकाय)

संसाधन इकाई प्रमुख
(तहसीलदार)

प्रलेखन इकाई प्रमुख
(खण्ड शिक्षा अधिकारी **द्वारा सहयोग–** तहसीलदार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी)

विमोचन इकाई प्रमुख
(सीडीपीओ)

लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित एक्सईएन, लोक निर्माण, यूपीसीएल द्वारा नामित इक्सईएन विद्युत आपूर्ति अधिकारी, सहायक अभियंता जलसंस्थान, सहायक अभियंता पेयजल निगम)

सेवा शाखा निदेशक
(विकासखण्ड अधिकारी **द्वारा सहयोग–**आपूर्ति निदेशक)

संचार इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित एस0टी0ओ0 या बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी,)

चिकित्सा इकाई प्रमुख
(चिकित्सा अधिकारी एंचार्ज/बीयीओ/ पीएचसी/ पशु चिकित्सालय)

खाद्य इकाई प्रमुख
(विकास खण्ड अधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक)

सहयोग शाखा निदेशक
(खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता सिंचाई)

संसाधन प्रदाय इकाई प्रमुख
(कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सीडीपीओ)

सुविधायें इकाई प्रमुख
(सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सम्बन्धित बीईओ)

भूमि समर्थन इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित एसडीओ वन/एडीओ पंचायत)

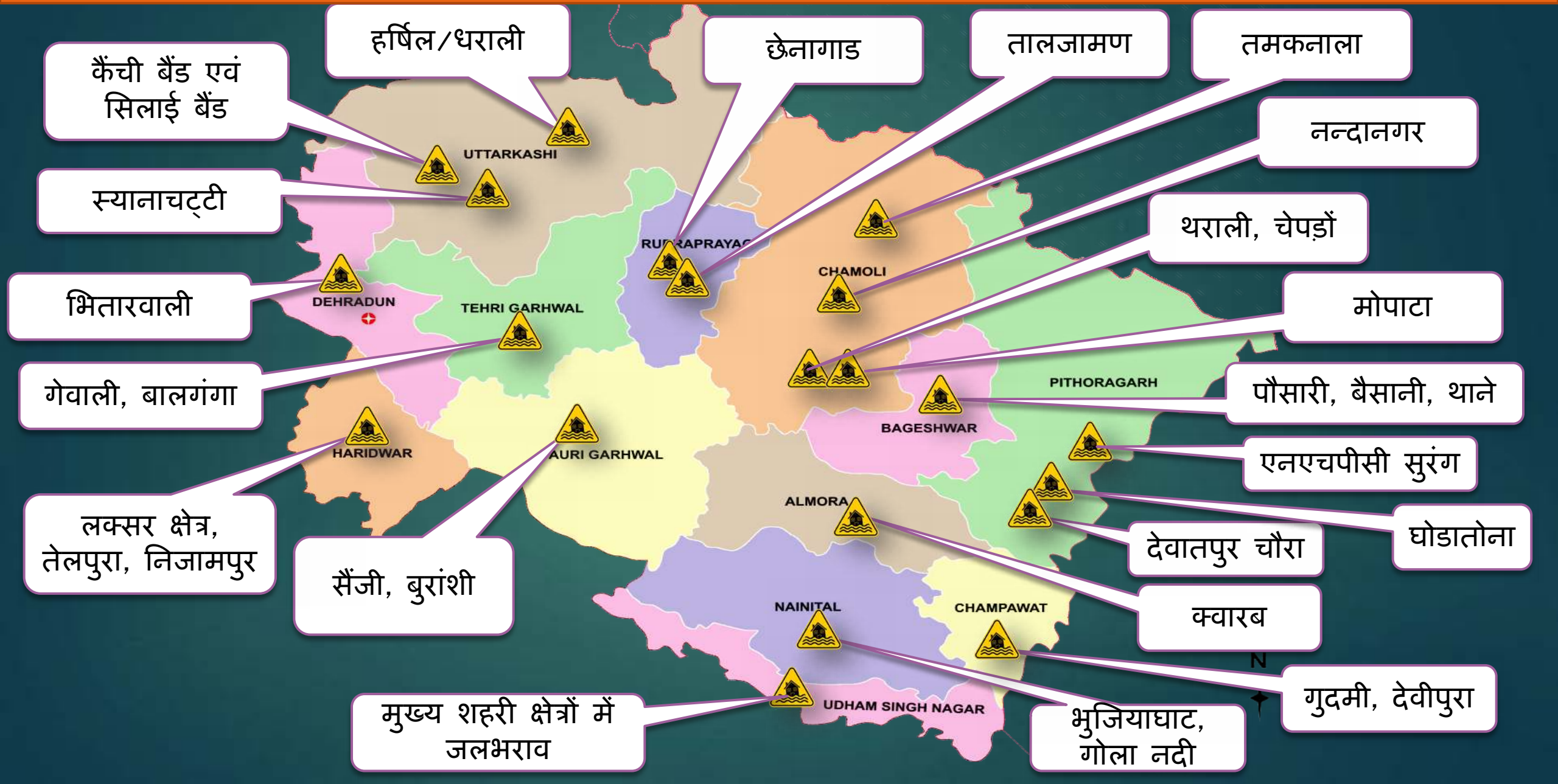
वित्त शाखा निदेशक
(सम्बन्धित कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी)

समय, अधिप्राप्ति /लागत इकाई प्रमुख
(संबंधित आरकं (रजिस्ट्रार कानूनगो)

मुआवजा/दावा इकाई प्रमुख
(सम्बन्धित तहसीलदार)

Response Structure, Coordination & Control

वर्ष 2025 में घटित विभिन्न घटनाएं



राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से रेस्क्यू अभियान की निगरानी/समन्वय

09
AM

दिनांक 07 अगस्त को मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे।





राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से रेस्क्यू अभियान की निगरानी/समन्वय

05 PM

दिनांक 07 अगस्त को मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ तथा मा0 उपाध्यक्ष श्री विनय रुहेला राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे।

मा0 मुख्यमंत्री जी की बैठक में प्रतिभाग





Golden Hour Response

- एसईओसी सक्रिय
- ***RO*** एसईओसी पहुंचे
- हेल्पलाइन नंबर जारी
- जिला प्रशासन से समन्वय
- केंद्र सरकार से सम्पर्क
- आईआरएस सक्रिय
- संसाधनों की त्वरित मैपिंग
- ***SAR*** तत्काल प्रारंभ



IRS TEAM IN SEOC (UNIFIED COMMAND)









आपदा के दौरान हेली रेस्क्यू



04	चिनूक, एमआई–17
06	एएलएच व चीता
09	निजी हेलीकॉप्टर
550	कुल सॉर्टी
1386	लोगों का रेस्क्यू







जिलाधिकारी तथा एसपी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे









एयर सपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स–Game Changer







04 चिनूक, एमआई–17

09 निजी हेलीकॉप्टर

06 एएलएच व चीता

550 कुल सॉर्टी

1386 लोगों का रेस्क्यू

राहत और बचाव कार्य–एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ









राहत और बचाव कार्य–आईटीबीपी









डॉग स्कवायड द्वारा धराली में सर्चिंग





हेली सेवाओं द्वारा रेस्क्यू अभियान–सेना









कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम

- ***Incident Command Post (ICP)*** की स्थापना
- क्षेत्र को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया
- अलग–अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई
- हर एजेंसी को स्पष्ट भूमिका



Technology Driven Response

❖ ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, ***GPR*** का उपयोग



Infra Restoration





❖ 03 दिन में बिजली व संचार बहाल

❖ बैली ब्रिज का निर्माण

खोज एवं बचाव कार्य

ग्राउंड जीरो

एनडीआरएफ द्वारा खोज





सेक्टर में विभाजन

जीपीआर



एसडीआरएफ द्वारा खोज





डॉग स्क्वायड

खोज एवं बचाव कार्य

ग्राउंड जीरो

जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति



सड़क पुनर्निर्माण



जीपीआर





सर्च ऑपरेषन

मलबे की सफाई



हर्षिल में रिवर चैनेलाइजेषन



मॉक ड्रिल हेतु जनपदों से अपेक्षाएं

मॉक ड्रिल हेतु स्थलों का चयन

विभिन्न आपदाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थलों का चयन।

- इन क्षेत्रों में जोखिम का मूल्यांकन।
- संवेदनशील क्षेत्रों में संसाधनों की पहले से तैनाती एवं पर्याप्त उपलब्धता।
- स्टेजिंग एरिया → कंट्रोल रूम की स्थापना → रिलीफ कैंप की स्थापना।
- कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना।
- वास्तविक आपदा जैसी स्थिति बनाई जाएः बाढ़ का पानी, फंसे हुए लोग, स्कूल/कॉलेज में फंसे हुए बच्चे, भूस्खलन आदि।

Briefing of TFs & Teams by Incident Commander



इवैकुएशन प्लान

- सुरक्षित स्थान, राहत शिविर और इवैकुएशन रूट्स की पूर्व पहचान।
- विभागों (पुलिस, फायर, स्वास्थ्य, SDRF आदि) से समन्वय।
- अलर्ट संदेश, साइरन व पब्लिक एड्रेस सिस्टम का सक्रियकरण।
- प्रशिक्षित टीमों से सुरक्षित निकासी।
- कमजोर वर्गों (वृद्ध, बच्चे, दिव्यांग, महिलाएँ) को प्राथमिकता।
- राहत शिविरों में पानी, स्वास्थ्य व सुरक्षा की व्यवस्था।
- रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन।
- Incident Commander व EOC से निरंतर समन्वय।
- मॉक के बाद समीक्षा (Debriefing) व सुधार बिंदु दर्ज करें।

रिलीफ कैंप्स की स्थापना

सुरक्षित स्थानों में रिलीफ कैंप की स्थापना

- स्कूल
- कॉलेज
- समुदायिक भवन
- पंचायत घर
- अस्थायी संरचना

राहत शिविरों की पूर्व व्यवस्था

- पानी
- शौचालय
- प्राथमिक चिकित्सा
- रोशनी
- भोजन
- शिशु आहार

- महिला/बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस/होमगार्ड की तैनाती।
- बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए अलग योजना।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं

- मोबाइल मेडिकल यूनिट, एंबुलेंस, पीएचसी, सीएचसी को अलर्ट पर रखा जाए।
- जीवनरक्षक दवाएं, टीके आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
- जल जनित बीमारियों से रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्थाएं।
- अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना।
- डॉक्टर तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित तैनाती।
- डेली मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाने की व्यवस्था।

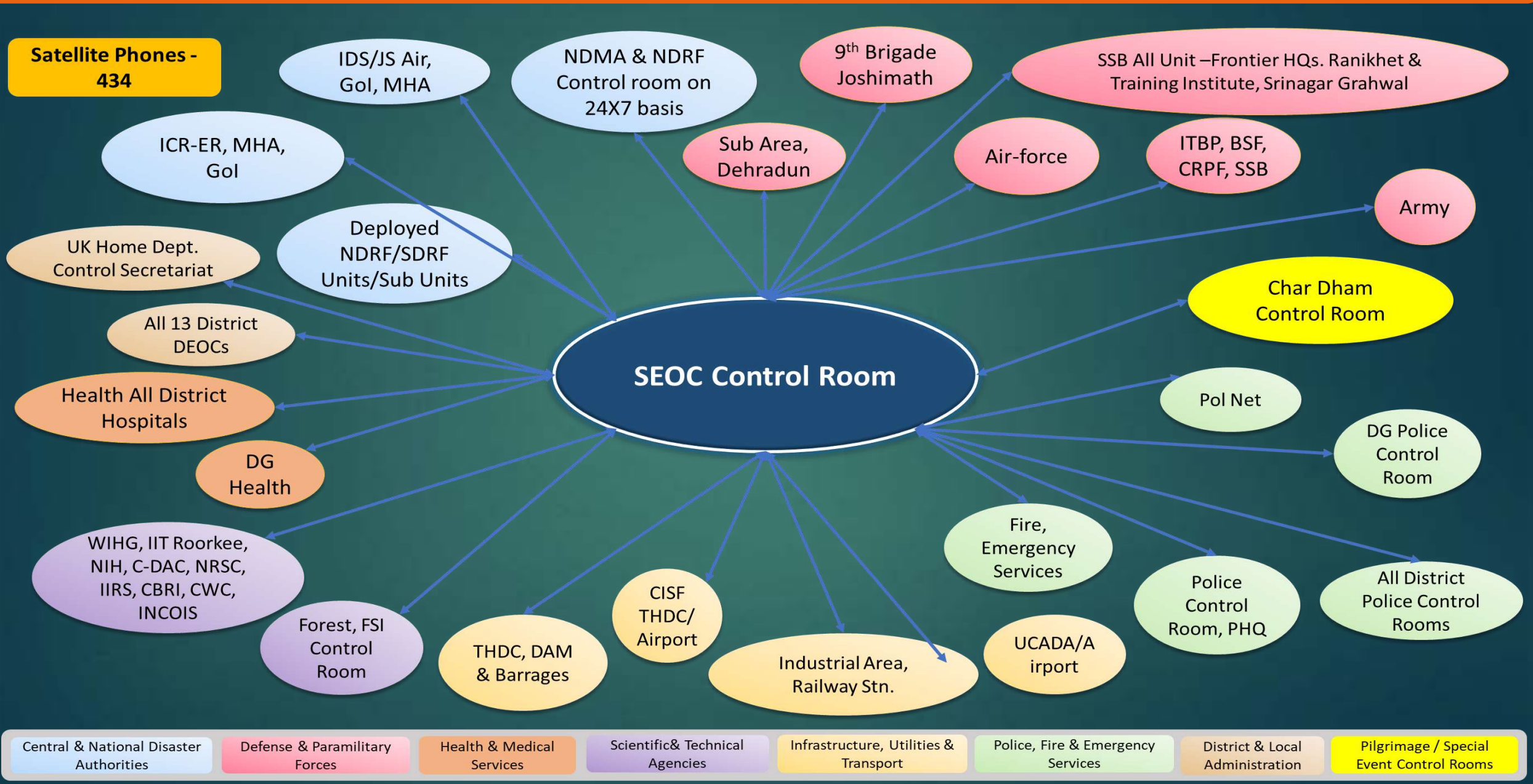
एसईओसी

- राज्य स्तर पर संपूर्ण मॉक ड्रिल की निगरानी और समन्वय।
- **SDRF, NDRF, ARMY, AIR FORCE , CAPF, IDS, ICR-ER (MHA) , NDMA** से समन्वय स्थापित करना।
- सभी जिलों से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करना और विश्लेषण करना।
- राज्य नियंत्रण कक्ष में संचार नेटवर्क को सक्रिय रखना।
- उपग्रह फोन, वायरलेस और इंटरनेट आधारित संचार का परीक्षण करना।
- मीडिया और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सूचना का प्रसारण नियंत्रित करना।
- आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा करना।
- अन्य विभागों को त्वरित निर्देश जारी करना (स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन आदि)।
- मॉक ड्रिल के परिणामों का राज्य स्तरीय मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करना।
- आपदा की तीव्रता का आकलन करते हुए आपदा घोषित करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना।

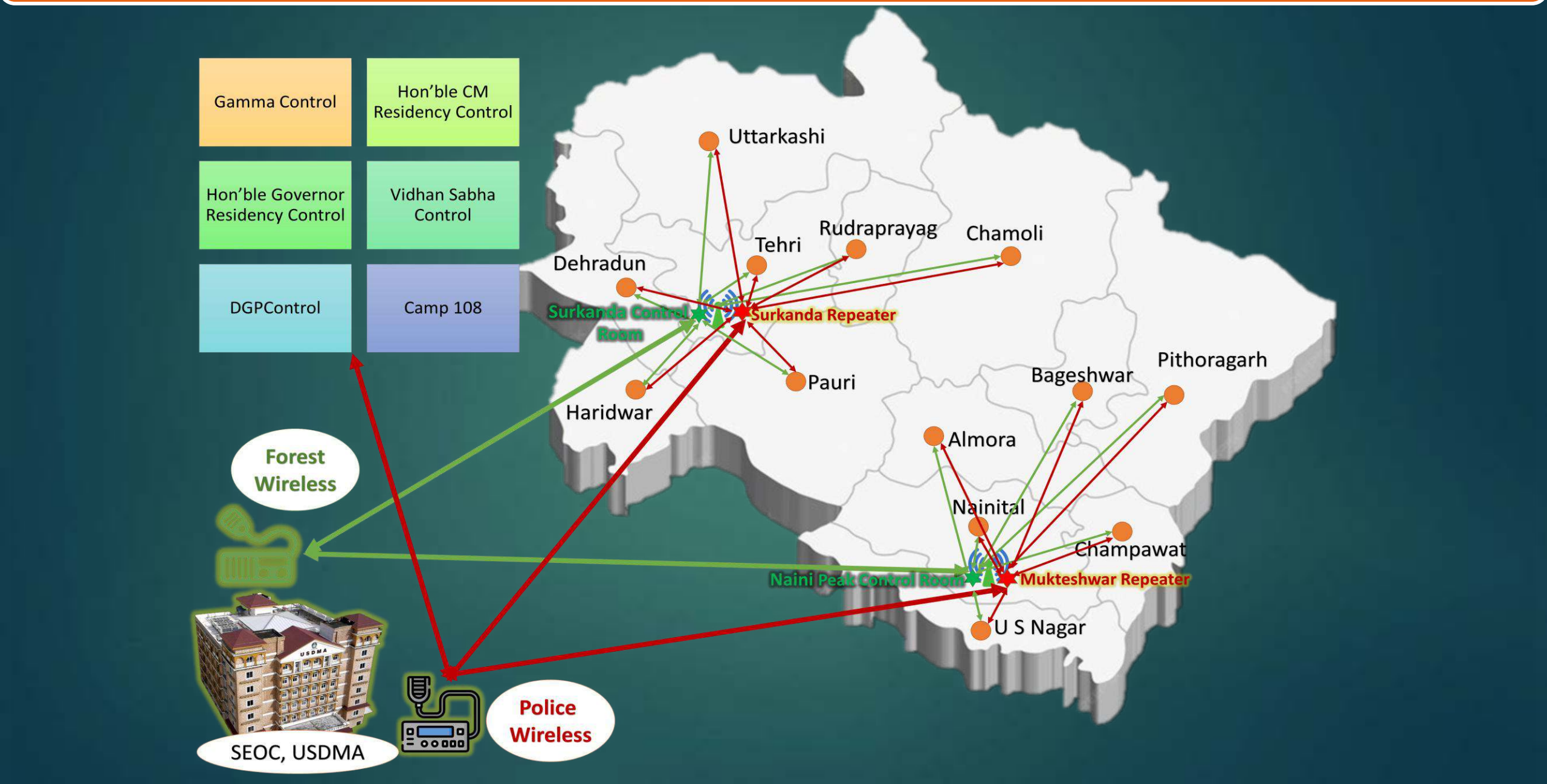
जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की सक्रियता

- 24 X 7 क्रियाशील हों।
- सभी संबंधित रेखीय विभागों के प्रतिनिधि तैनात हों।
- नियंत्रण कक्ष में सभी संचार उपकरण चालू स्थिति में हों।
- मॉक अभ्यास की मॉनीटरिंग डीईओसी से की जाएगी।
- एसईओसी, इंसीडेंट कमाण्ड पोस्ट तथा इंसीडेंट कमाण्डर, स्टेजिंग एरिया प्रबंधक, रिलीफ सेंटर के साथ निर्बाध समन्वय।
- सभी डीईओसी में ड्रोन की उपलब्धता
- एआई तक तकनीक का उपयोग

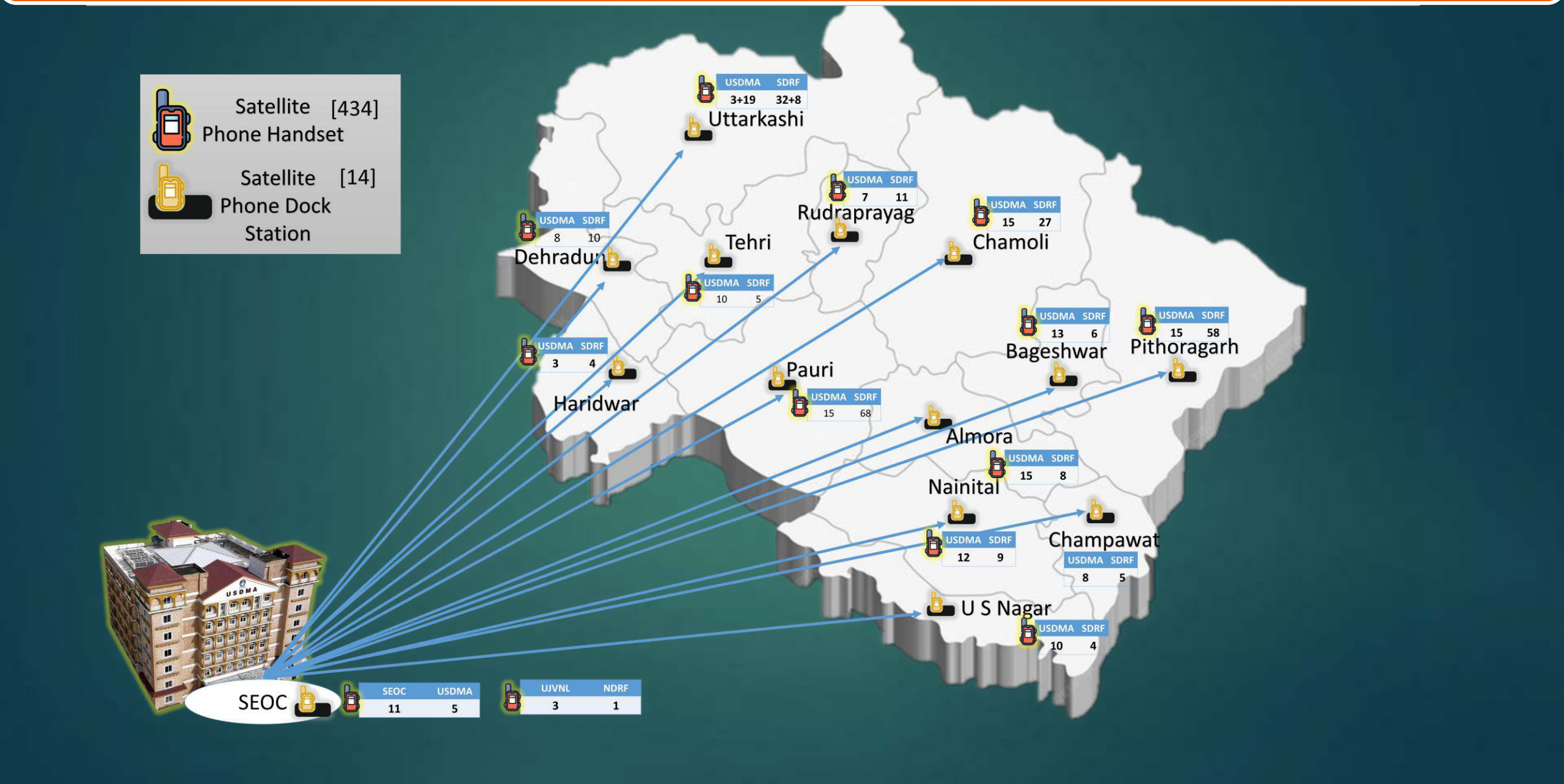
24X7 Communication Network of SEOC



पुलिस तथा फारेस्ट संचार नेटवर्क



सेटेलाइट फोन नेटवर्क



यूएसडीएम द्वारा चेतावनी प्रसारण

1. कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (CAP)
2. वाट्सएप ग्रुप, 34 ग्रुप प्रधानों के
3. ईआरएसएस 112
4. पुलिस तथा फारेस्ट वायरलेस
5. ईमेल तथा सोषल मीडिया
6. सेटेलाइट फोन–434 उपलब्ध

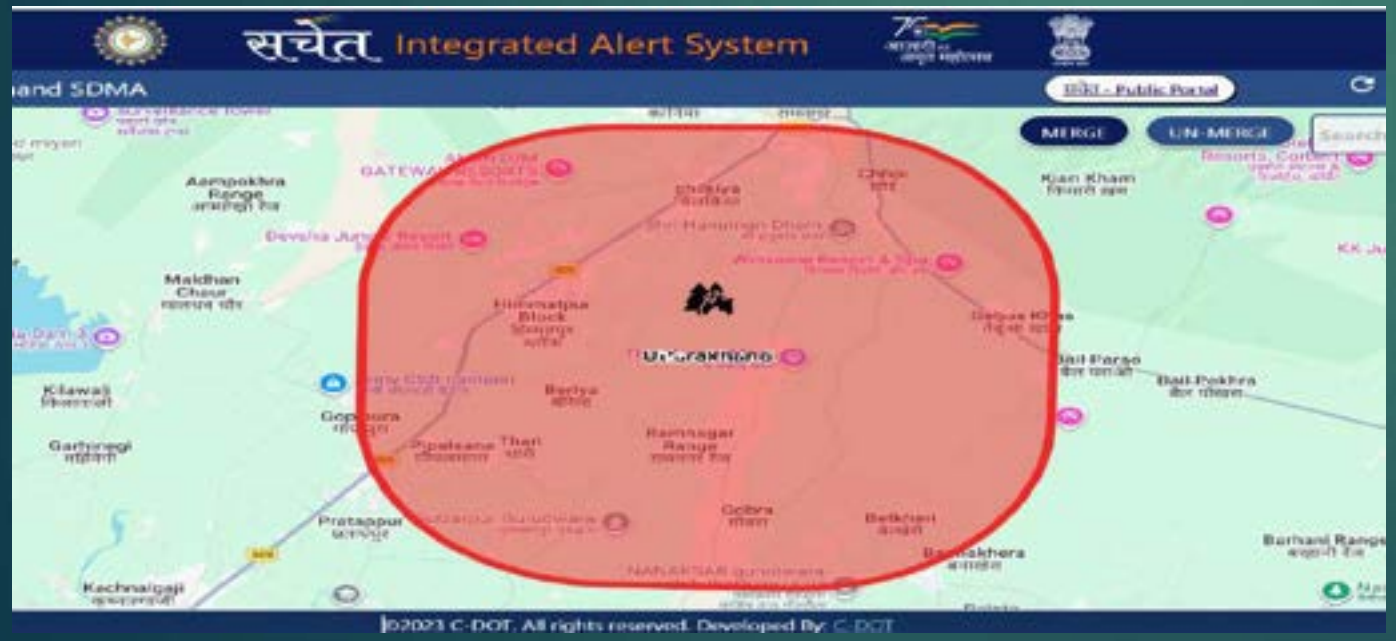
रिलायंस, एयरटेल, VI, बीएसएनएल

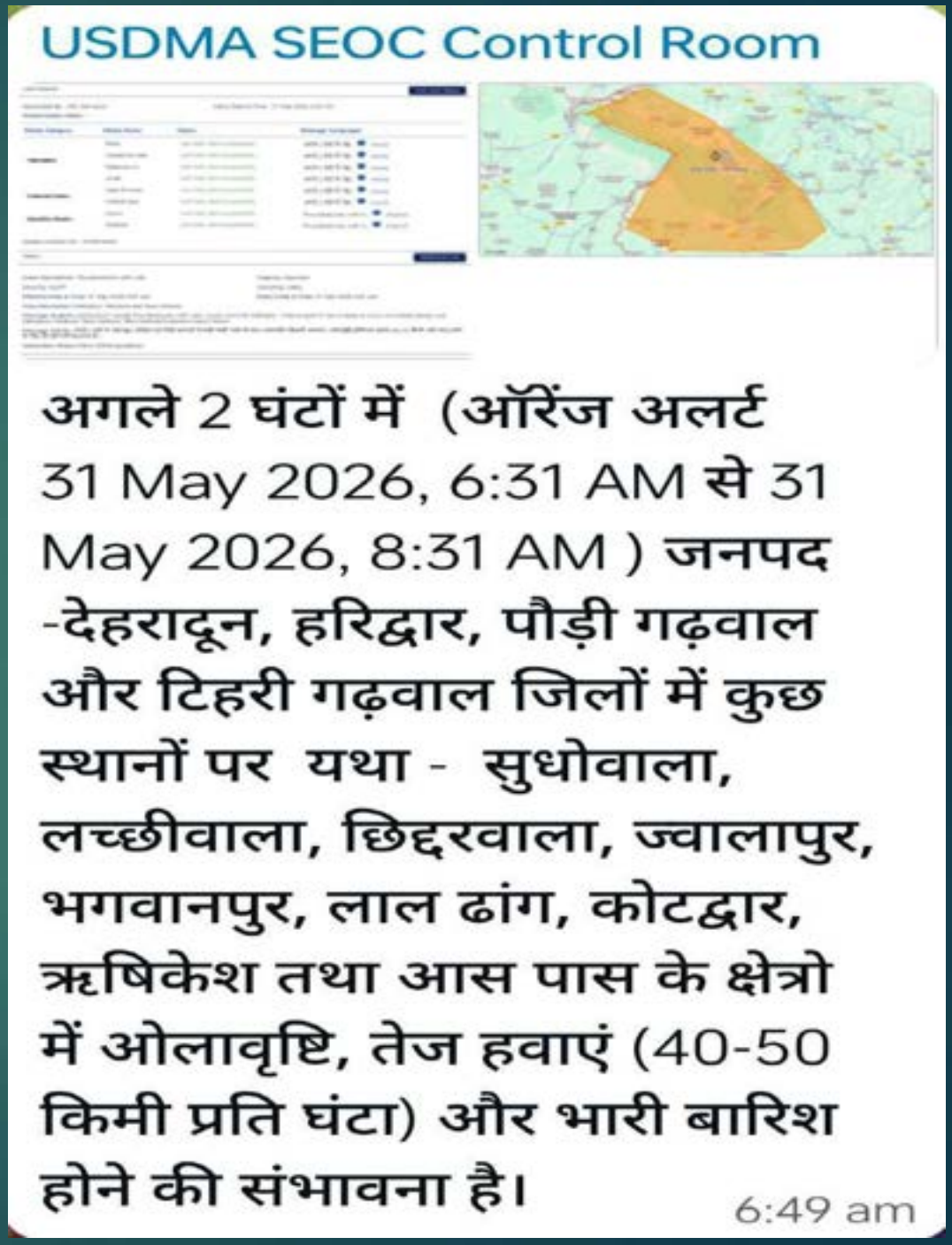


7. भूदेव एप

पूर्व चेतावनी जारी करने वाले प्रमुख संस्थान

- भारत मौसम विज्ञान विभाग–मौसम पूर्वानुमान
- केंद्रीय जल आयोग–नदी जलस्तर पूर्वानुमान
- डीजीआरई–हिमस्खलन पूर्वानुमान
- भारतीय वन सर्वेक्षण–वनाग्नि पूर्व चेतावनी
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण–भूस्खलन संबंधी चेतावनी





डीईओसी

- जिला स्तर पर मॉक ड्रिल का संचालन और पर्यवेक्षण।
- प्रभावित क्षेत्र से रीयल–टाईम सूचना एकत्र करना और SEOC को भेजना।
- सभी लाइन विभागों (पुलिस, स्वास्थ्य, फायर, पीडब्ल्यूडी, परिवहन आदि) के बीच समन्वय।
- राहत एवं बचाव दलों की तैनाती और आवाजाही की निगरानी।
- जिलाधिकारी/RO को स्थिति की निरंतर जानकारी देना।
- नियंत्रण कक्ष में 24×7 संचार व्यवस्था बनाए रखना।
- जन सूचना एवं अफवाह नियंत्रण हेतु मीडिया सेल सक्रिय रखना।
- मॉक ड्रिल के दौरान सभी कॉल, संदेश और लॉग का दस्तावेजीकरण करना।
- फील्ड से प्राप्त रिपोर्टों का संकलन और समग्र रिपोर्ट एसईओसी को भेजना।
- आपदा की तीव्रता का आकलन करते हुए आपदा घोषित करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना।

सिंचाई विभाग/केन्द्रीय जल आयोग

- नदियों के जलस्तर तथा तटबंधों की निगरानी।
- बांध के विफल होने अथवा खतरे में आने की स्थिति में संभावित बाढ़ के संबंध में पूर्व चेतावनी जारी करना तथा साइरन द्वारा सूचित करना।
- नदियों/नहरों की साफ–सफाई कर उसके बहाव मार्ग को नियमित करना।
- जल संकट के समाधान के लिए योजनायें बनाना।

जल विद्युत परियोजनाएं

यूजेवीएनएल	टीएचडीसी	एनएचपीसी	शारदा बांध	पंचेश्वर बांध	मनेरी भाली

- आपातकालीन संचार प्रणाली की कार्यक्षमता परीक्षण।
- सभी कर्मचारियों का पूर्व प्रशिक्षण और भूमिका निर्धारण।
- मॉक अभ्यास के समय अलार्म एवं निकासी प्रक्रिया सक्रिय करना।
- नियंत्रण कक्ष द्वारा त्वरित सूचना प्रसारण।
- डैम गेट और जलस्तर नियंत्रण पर निगरानी।
- हाइड्रो प्रोजेक्ट उपकरणों का सुरक्षित शटडाउन।
- संरचनात्मक क्षति (क्रैक, लीक आदि) की त्वरित जांच।
- घायलों को प्राथमिक उपचार और निकासी की व्यवस्था।

- डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों तथा सीमावर्ती राज्यों को चेतावनी संदेश प्रसारित करना।
- जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना।
- डैम सेफ्टी निरीक्षण कराना।
- सिस्मोग्राफ और सेंसर डेटा का विश्लेषण करना।

अन्य आवश्यक दिशा–निर्देश

- क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान का एक्टिवेशन।
- यूएसडीएमए, जिला प्रशासन व अन्य रेखीय विभागों के साथ समन्वय।
- स्वयंसेवकों/आपदा मित्र की सक्रिय भागीदारी।
- स्थानीय लोगों को मॉक ड्रिल की जानकारी प्रदान किया जाना।
- सायरन और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली की जांच।
- गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता
- टाइमलाइन आधारित ड्रिल स्क्रिप्ट (जैसे– अलर्ट जारी करना, लोगों की निकासी, राहत शिविर स्थापना, चिकित्सा सहायता) इत्यादि।

अन्य आवश्यक दिशा–निर्देश

- स्थानीय मीडिया को आमंत्रित कर जनजागरूकता फैलाएं।
- ड्रोन, वीडियो कैमरा, फोटोग्राफर से ड्रिल की पूरी रिकॉर्डिंग करवाई जाए।
- ड्रिल समाप्ति के बाद डीब्रीफिंग की जाएगी।
- सफलताओं और कमियों का मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण करें।
- ऑब्जर्वर व अन्य संबंधित से मॉक ड्रिल की रिपोर्ट तैयार कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।

उपकरणों/संसाधनों की व्यवस्था

- उपकरणों की सूची बनाना। संचालन अभ्यास।
- क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत/रख–रखाव।
- आवश्यक उपकरणों की खरीद।
- सभी उपकरणों की जी0आई0एस0 मैपिंग।
- आई0डी0आर0एन0 पोर्टल पर अंकन।
- संवदेनशील स्थानों के आस–पास उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।



- खराब/अनुपयोगी उपकरणों की सूची, समिति के माध्यम से मूल्यांकन, निविदा कर निस्तारण।

तहसील स्तर पर क्यूआरटी का गठन

सर्च एंड रेस्क्यू टीम

एन.डी.आर.एफ.,एस.डी.आर.एफ., पुलिस, सेना, सी.ए.पी.एफ., पी.ए.सी., अग्निशमन, जल पुलिस, मास्टर ट्रैनर, आपदा मित्र, युवा आपदा मित्र, आपदा सखी, एनसीसी, एनएसएस, मेरा युवा भारत, भारत स्काउट एंड गाइड, एसएचजी, भूतपूर्व सैनिक आदि।

क्षति आकलन तथा राहत वितरण टीम

राजस्व, पंचायती राज, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, उद्यान, वन, कोषागार, जल निगम, जल संस्थान आदि।

पुनर्प्राप्ति/पुनर्निर्माण टीम

राजस्व, लो.नि.वि., पी.एम.जी.एस.वाई., जल निगम, जल संस्थान, विद्युत, शहरी विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, आर. डब्ल्यू.डी. कृषि, पशुपालन, सिंचाई, उद्यान, वन, कोषागार, इसके साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधि, /जागरूक/प्रशिक्षित नागरिक आदि को शामिल किया जा सकता है।

क्यू.आर.टी. में लगभग 50 से 70 तक सदस्य, मानसून आरम्भ होने के पूर्व प्रशिक्षण

जून–सितंबर

प्रत्येक 10 दिन में, 01 11 व 21 तारीख को प्रत्येक विभाग के टीम लीडर के साथ ऑनलाईन/ऑफलाईन बैठक।

एसडीएम या तहसीलदार प्रभारी।

Lessons Learnt

पूर्व चेतावनी प्रणालियों को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाना।

अंतिम छोर तक चेतावनी प्रसार (एसएमएस, सायरन, सेल ब्रॉडकास्ट)।

पूर्वानुमान क्षमता बढ़ाना।

संवेदनशील क्षेत्रों की सूक्ष्म स्तर पर पहचान एवं मानचित्रण करना।

महत्वपूर्ण ढांचे (सड़क, पुल, बिजली) को आपदा सहनशील बनाना।

दूरस्थ क्षेत्रों में उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था विकसित करना

बहु–स्तरीय संचार व्यवस्था (रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट) सुनिश्चित करना





Lessons Learned / Way Forward

- आपदा मित्र एवं स्थानीय स्वयंसेवकों का सशक्तिकरण
- ग्राम स्तर पर आपदा तैयारी योजनाएं बनाना
- ***AI*** आधारित निगरानी बढ़ाना
- संयुक्त अभ्यास (सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ)
- एकीकृत कमान व्यवस्था को और प्रभावी बनाना
- विकास योजनाओं में ***DRR*** शामिल करना





विभागवार अपेक्षाएं

लोक निर्माण विभाग / बी0आर0ओ0 / एन0एच0ए0आई0 एन0एच0ए0आई0डी0सी0एल0 / ग्राम्य विकास / पी0एम0जी0एस0वाई0

- भूस्खलन संवेदनशील स्थानों का चिन्हांकन
- उक्त स्थानों हेतु JCB व अन्य उपकरणों की व्यवस्था
- JCB में AIS Model GPS की व्यवस्था
- साइनेजेज की व्यवस्था
- वैकल्पिक मार्गों का चिन्हीकरण
- बैली ब्रिजों का विकेन्द्रीकृत भण्डारण
- क्षतिग्रस्त पुलों व मार्गों का निरीक्षण तथा मरम्मत।
- सैन्य / नागरिक वाहनों की आवाजाही हेतु सामरिक सड़कों का निर्माण व मरम्मत।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- प्रत्येक चिकित्सालय की आपदा प्रबंधन कार्य योजना।
- अस्पतालों में आपातकालीन तैयारी तथा फायर सुरक्षा ऑडिट।
- डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, औषधियों की व्यवस्था।
- एम्बुलेंसों में AIS Model GPS की व्यवस्था।
- चिकित्सकों तथा चिकित्सा स्टॉफ का प्रशिक्षण।
- शवों के प्रबन्धन के लिए दिशा–निर्देश।
- मेडिकल कैम्पों, मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था।
- किस प्रकार की आपदा की स्थिति में क्या–क्या करना है, इस हेतु रणनीति बनाया जाना।



पेयजल विभाग

- स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति।
- जल स्रोतों की निगरानी।
- टैंकरों की व्यवस्था।
- Spare Parts का विकेन्द्रीकृत भण्डारण।
- जल नमूनों का संग्रह व उनकी जांच।
- जल जनित बीमारियों से बचाव/जल शुद्धिकरण।
- Sewage Treatment Plant (STP) का सुचारू संचालन।



विद्युत विभाग

- आपदा पूर्व विद्युत उपकरणों तथा लाइन का निरीक्षण एवं सुधार।
- आपदा के समय विद्युत आपूर्ति बंद करना तथा पुनः सुचारू करना।
- विद्युत आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था/आकस्मिकता प्लान।
- ट्रांसफार्मर की व्यवस्था।
- जल विद्युत उत्पादन प्लांट में पर्याप्त सुरक्षा/आकस्मिकता प्लान।
- विद्युत सुरक्षा उपाय।
- ट्रांसमिशन लाइनों का क्षतिग्रस्त होने की दशा में तत्परता से सुचारू किया जाना।



खाद्य आपूर्ति विभाग

- राज्य के सुदूरवर्ती गांवों में 04 माह के राशन की अग्रिम व्यवस्था।
- आपदा प्रभावितों हेतु रेडीमेड खाद्य सामग्री/खाद्य पैकेट व पानी की बोतलों की व्यवस्था।
- पेट्रोल, डीजल, सी0एन0जी0, पी0एन0जी0, एल0पी0जी0 आदि का आवश्यकतानुसार भण्डारण।
- संभावित आपदा हेतु दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं व खाद्य सामग्री के किट तैयार रखना।
- राज्य, जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती।
- आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही।

गृह विभाग/पुलिस विभाग

- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एस0डी0आर0एफ0, पुलिस बल, जल पुलिस, गोताखोर, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती का प्रबन्धन।
- आकस्मिक/विषम परिस्थितियों हेतु विशेष तैयारी। खुफिया तंत्र द्वारा सघन निगरानी।
- परिवहन विभाग के सहयोग से वाहनों की नियमित चैकिंग करने सम्बन्धी व्यवस्था।
- निर्बाध यातायात संचालन हेतु प्रभावी व्यवस्था।
- राहत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा क्षेत्रों की घेराबंदी व पीड़ितों की सुरक्षा।
- लापता व्यक्तियों की खोज, बचाव एवं राहत हेतु प्रभावी कार्यवाही।

अग्निशमन विभाग

- अग्नि दुर्घटना पर नियंत्रण व राहत।
- जलभराव क्षेत्रों से पानी की निकासी में सहयोग।
- सी0बी0आर0एन0ई0 प्लान (केमिकल/बायोलोजिकल/रेडियोलाजिकल/ न्यूक्लियर/एक्प्लोसिव) रिसाव पर काबू पाने हेतु उपाय।
- प्रभावित इमारतों से लोगों को सुरक्षित निकालना।
- वर्तमान परिस्थितियों में किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु योजना।

एस0डी0आर0एफ0 / एन0डी0आर0एफ0

- आपदा पूर्व अभ्यास और मॉक ड्रिल करना।
- वर्तमान परिस्थितियों में किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु योजना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खोज, बचाव एवं राहत कार्यों का संचालन।
- उपकरणों का संग्रहण, प्रशिक्षण तथा समुचित उपयोग की व्यवस्था।
- आपदा चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन में सहयोग।
- सी0बी0आर0एन0ई0 प्लान (केमिकल / बायोलोजिकल / रेडियोलाजिकल / न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव) रिसाव पर काबू पाने हेतु उपाय।

सी0ए0पी0एफ0

आई0टी0बी0पी0 / एस0एस0बी0 / बी0एस0एफ0 / सी0आर0पी0एफ0 / सी0आई0एस0एफ0

- सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना।
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग।
- आई0आर0एस0 प्रणाली के तहत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में दायित्वों का निर्वहन।
- नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय व सहयोग।
- सरकारी हवाई अड्डों, सरकारी प्रतिष्ठानों इत्यादि की सुरक्षा।
- आपातकालीन स्थितियों में सहयोग प्रदान करना।
- संसाधनों की मैपिंग तथा उनका आवश्यक भण्डारण एवं विकेंद्रीकरण।



क्विक रिस्पांस टीमों को सक्रिय करना।



भारतीय सेना/वायु सेना

- प्रभावित क्षेत्रों में खोज, बचाव एवं राहत कार्य।
- चिकित्सा सहायता व मोबाइल हॉस्पिटल की व्यवस्था।
- राहत सामग्री का वितरण एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था।
- राहत सामग्री को प्रभावित क्षेत्रों में एयरड्राप करना।
- हेलीकॉप्टर द्वारा पीड़ितों/आपदा प्रभावितों का रेस्क्यू।
- नागरिक उड्डयन एजेंसियों के साथ समन्वय।
- वर्तमान परिस्थितियों में किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु योजना।

परिवहन विभाग

- आकस्मिक परिस्थितियों हेतु बसों, टैक्सियों तथा ट्रकों आदि की व्यवस्था।
- व्यवसायिक, अस्थाई चैक पोस्ट तथा कंट्रोल रूम की स्थापना।
- वाहनों की नियमित जांच करना
- वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र, ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड जारी करना।
- ओवरलोडिंग, नशे में वाहन चलाना तथा रैश ड्राइविंग पर कार्यवाही।
- वाहन दुर्घटना रोके जाने हेतु योजनाबद्ध कार्यवाही।

पशुपालन विभाग

- यात्राकाल में आवश्यक संख्या में घोड़े–खच्चरों की समुचित व्यवस्था।
- आपदा की संभावना का आकलन तथा पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था।
- घोड़े–खच्चरों को होने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम।
- यमुनोत्री, केदारनाथ एवं हेमकुण्ड साहिब के पैदल मार्गों पर पशुचिकित्सकों की तैनाती।
- आपदा व आकस्मिकता की स्थिति में घायल पशुओं के उपचार हेतु व्यवस्था।
- मृतक पशुओं के शवों का समुचित निस्तारण।

नागरिक उड्डयन विभाग/यूकाडा/एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया

- आपदा की स्थिति में भारतीय सेना/वायु सेना के साथ समन्वय।
- हेलीपैड/हेलीपोर्ट के सम्बन्ध में वास्तविक सूचना एकत्रित करना।
- बचाव कार्यों हेतु हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई सेवा उपलब्ध कराना।
- गंभीर घायलों के समुचित इलाज हेतु एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था।
- आपदा के समय हवाई सेवाओं का विनियमन और निगरानी।
- हवाई अड्डों पर आपदा बचाव में लगे हुए हेलीकॉप्टरों आदि के लैण्डिंग और टेकऑफ हेतु सेफ पैसेज उपलब्ध कराना।
- ए0टी0एफ0 (वायुयान ईधन) की व्यवस्था।
- जनपदों को प्रेषित एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/हेलीपैड की सूची में संशोधन।
- संसाधनों की मैपिंग तथा उनका आवश्यक भण्डारण एवं विकेंद्रीकरण।

क्विक रिस्पांस टीमों को सक्रिय करना।



सूचना विभाग

- आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं का नियमित अंतराल पर प्रेस/मीडिया को साझा करना।
- प्रेस/मीडिया को उपयुक्त/सटीक सूचना ही जाए, तथा गलत सूचना न जाए, यह सुनिश्चित किया जाना।
- आपदा से सम्बन्धित भ्रामक खबरों का संज्ञान व खण्डन तथा यथावश्यकता एफ0आई0आर0 दर्ज करना।
- यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या करें क्या न करें संबंधी जागरूकता सामग्री का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- जनता की प्रतिक्रिया और सुझावों का संकलन तथा उस पर कार्यवाही।

संचार एवं सूचना तंत्र हेतु अपेक्षाएँ

- सभी आपातकालीन संचार माध्यमों (**Wireless, HAM,, Satellite Phones** आदि) को सक्रिय रखना।
- **EOC** स्तर पर इंटरनेट, मोबाइल व वायरलेस कनेक्टिविटी निर्बाध सुनिश्चित करना।
- **CAP** प्रणाली, 112 सेवा, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, रेडियो व स्थानीय माध्यमों से अलर्ट प्रसारित करना।
- बीएसएनएल, निजी टेलीकॉम कंपनियों व डाक विभाग के साथ वैकल्पिक संचार व्यवस्था बनाना।
- पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं सामुदायिक रेडियो द्वारा जनता को वास्तविक समय की सूचना देना।
- फील्ड से **EOC** तक रियल–टाइम रिपोर्टिंग चौनल स्थापित करना ताकि निर्णय शीघ्र हो सके।

पर्यटन विभाग

- ऑफलाइन/ऑनलाइन/मोबाइल एप के साथ पंजीकरण की सुविधा तथा यात्रियों की जानकारी यूएसडीएमए के साथ साझा किया जाना।
- धामों से पूर्व पंजीकरण, सत्यापन की व्यवस्था का क्रियान्वयन तथा जानकारी यूएसडीएमए तथा डीडीएमए के साथ साझा किया जाना।
- दर्शन हेतु स्लॉट/टोकन वितरण तथा कतार प्रबन्धन।
- यात्रियों की सुविधा के लिए 24X7 कंट्रोल रूम का संचालन एवं दैनिक बुलेटिन का प्रसारण।
- यात्रा मार्ग/पर्यटक स्थलों/पार्किंग स्थानों पर यात्रियों के लिए रेस्टरूम की व्यवस्था।
- अधिक ऊंचाई वाले ट्रेकिंग स्थानों पर जाने वालों का समुचित स्वास्थ्य परीक्षण तथा इनसे संपर्क बनाए रखने हेतु कार्यवाही।
- हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग के लिए एसओपी बनाना।
- वाटस स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए एसओपी बनाया जाना।

वन विभाग

- वनाग्नि पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
- मानव–वन्य जीव संघर्ष के सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही।
- वन क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में पर्यटकों/स्थानीय निवासियों के खोज एवं बचाव हेतु बचाव एजेसिंयों का सहयोग करना।
- वन विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों, उपकरणों को आपदा के समय इच्छुक विभागों को उपलब्ध कराना।
- प्रमुख मार्गों पर खतरनाक वृक्षों का चिन्हीकरण तथा पातन की कार्यवाही।
- आपदा की स्थिति में/प्रमुख मार्ग बंद होने की स्थिति में वन क्षेत्र स्थित पैदल मार्गों को तैयार रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग आवागमन हेतु किया जा सके।

पंचायती राज विभाग

- ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन हेतु सशक्त करना।
- एस0ई0ओ0सी0 से प्राप्त चेतावनी/सूचनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित करना।
- आपदा से संभावित प्रभावितों को ससमय सुरक्षित स्थानों पर ले जाना।
- राहत कैम्पों का संचालन तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था।
- जनपद व राज्य प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर खोज बचाव व राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- आपदा से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों की मरम्मत।
- मानसून पूर्व समुचित ड्रेनेज हेतु नाले–नालियों की सफाई।

शहरी विकास विभाग

- एस0ई0ओ0सी0 से प्राप्त चेतावनी/सूचनाओं को नगर निकाय स्तर पर प्रसारित करना।
- आपदा से संभावित प्रभावितों को ससमय सुरक्षित स्थानों पर ले जाना।
- खोज बचाव व राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- मानसून पूर्व नगर के नाले–नालियों की न्यूनतम 03 बार सफाई, मानसून अवधि में प्रत्येक 15 दिन में सफाई कराना तथा निकाले गये मलबे को हटाया जाना।
- संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु केमिकल छिड़काव / अन्य उपाय /जन जागरूकता।
- शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था एवं कूड़े का निस्तारण।

शहरी विकास विभाग

- एस0ई0ओ0सी0 से प्राप्त चेतावनी/सूचनाओं को नगर निकाय स्तर पर प्रसारित करना।
- आपदा से संभावित प्रभावितों को ससमय सुरक्षित स्थानों पर ले जाना।
- खोज बचाव व राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु केमिकल छिड़काव/अन्य उपाय/जन जागरूकता।
- शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था एवं कूड़े का निस्तारण।

शहरी विकास विभाग

- एस0ई0ओ0सी0 से प्राप्त चेतावनी/सूचनाओं को नगर निकाय स्तर पर प्रसारित करना।
- आपदा से संभावित प्रभावितों को ससमय सुरक्षित स्थानों पर ले जाना।
- खोज बचाव व राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु केमिकल छिड़काव/अन्य उपाय/जन जागरूकता।
- शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था एवं कूड़े का निस्तारण।

जिला विकास प्राधिकरण

- शहरी क्षेत्र में भवनों और अधोसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा का मूल्यांकन करना।
- उच्च जोखिम वाले भवनों और क्षेत्रों की पहचान कराना।
- मॉक ड्रिल के लिए चयनित क्षेत्रों के नक्शे, लेआउट और पहुंच मार्ग प्रदान करना।
- भवनों की संरचना संबंधी विशेषज्ञों को अभ्यास में शामिल करना।
- आपदा के बाद पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की प्राथमिक योजना तैयार रखना।
- राहत शिविरों, अस्थायी आश्रय स्थलों हेतु उपयुक्त भूमि चिह्नित करना।
- भवनों में सुरक्षित निकासी मार्ग का सत्यापन करना।

सिंचाई विभाग/केन्द्रीय जल आयोग

- मानसून में नदियों के जलस्तर तथा तटबंधों की निगरानी।
- उच्च क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर निचले क्षेत्रों में संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान, इस हेतु निगरानी तंत्र विकसित करना।
- संभावित बाढ़ के संबंध में पूर्व चेतावनी जारी करना तथा साइरन द्वारा सूचित करना।
- मानसून पूर्व नदियों/नहरों की साफ–सफाई कर उसके बहाव मार्ग को नियमित करना।
- संभावित बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ चौकियों की स्थापना।
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दैनिक उपयोग हेतु आवश्यक जल उपलब्ध कराना।
- जल संकट के समाधान के लिए योजनायें बनाना।

भारत मौसम विज्ञान विभाग

- मौसम सम्बन्धित दैनिक पूर्वानुमान उपलब्ध करना।
- CAP के माध्यम से Nowcast, Forecast आदि सम्बन्धित चेतावनियों को नियमित अंतराल पर जारी करना।
- रेड तथा ओरेंज एलर्ट होने पर एडवाइजरी जारी करना।
- राज्य आपदा प्रबन्धन के अधिकारियों के साथ समन्वय व सहयोग।

केन्द्र एवं राज्य स्तरीय संस्थानों हेतु अपेक्षाएँ

- IMD,GSI , CWC , CBRI , BRO , IIT रुड़की, वाडिया संस्थान आदि द्वारा तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन।
- भूकंपीय संवेदनशीलता, भौगोलिक जोखिम एवं आपदा प्रवण क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी साझा करना।
- प्रशिक्षण, शोध एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में जिला प्रशासन को सहयोग देना।
- मॉक एक्सरसाइज़ के दौरान विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- अभ्यास के पश्चात् सीख (Lessons Learnt) एवं सुधार बिंदु रिपोर्ट तैयार कर साझा करना।
- भविष्य की आपदा तैयारी हेतु USDMA व DDMAs के साथ समन्वित कार्ययोजना तैयार करना।

सामुदायिक संस्थान एवं स्वैच्छिक संगठन हेतु अपेक्षाएँ

- स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जन–जागरूकता, निकासी एवं भीड़ नियंत्रण में सहयोग देना।
- स्वयंसेवकों के माध्यम से प्राथमिक उपचार, राहत वितरण एवं शिविर प्रबंधन में सहायता देना।
- वृद्ध, बच्चे, महिलाएँ व दिव्यांग नागरिकों की पहचान कर प्राथमिकता से सहयोग प्रदान करना।
- विद्यालयों, ग्राम समितियों व युवाओं के साथ सामुदायिक मॉक ड्रिल आयोजित करना।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) एवं EOC के साथ सूचना साझा करना।
- जनसमुदाय में आपदा पूर्व तैयारी हेतु प्म्ब सामग्री वितरण व जागरूकता अभियान चलाना।

जनपदों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- उपरोक्तानुसार जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन।
- विभिन्न विभागों के साथ लगातार बैठक एवं समन्वय।
- वॉट्सअप के माध्यम से चेतावनी जारी किये जाने की व्यवस्था।
- सचेत एप/भूदेव एप डाउनलोड कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाना।
- क्यू0आर0टी0 का गठन/प्रशिक्षण/नियमित बैठक।
- किसी भी प्रकार की घटना की स्थिति में सजग रहते हुए प्रभावी कार्यवाही।
- विभिन्न प्रकार से सूचना प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी व्यवस्था,
- मा0 जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों, प्रेस/मीडिया के साथ प्रभावी समन्वय।
- भाम्रक खबरों का खण्डन एवं सकारात्मक खबरों का समुचित प्रचार–प्रसार।
- रेड तथा ओरेंज एलर्ट होने पर एडवाइजरी जारी करना।
- राज्य आपदा प्रबन्धन के अधिकारियों के साथ समन्वय व सहयोग।

जनपदों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही

- नाले–नालियों की सफाई तथा नदियों की Desilting/Dredging
- पर्याप्त संख्या में नाव/राफ्ट/स्टीमर तथा अन्य जल निकासी उपकरणों की व्यवस्था।
- आवश्यक सामग्री यथा पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्यान्न, दवाईयों का भण्डार।
- संवेदनशील स्थानों पर जे0सी0बी0 आदि अन्य उपकरणों की तैनाती।
- बैली ब्रिज के उपकरणों का भण्डारण।
- सुरक्षित स्थानों पर आपदा शेल्टर की पहचान तथा आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था।
- गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग, गंभीर बीमार तथा दिव्यांग जनों का डाटा एकत्रीकरण।
- आवश्यक उपकरणों की खरीद, मरम्मत, जी0आई0एस0 मैपिंग।
- खतरे वाले स्थानों में सेल्फी/रील आदि के लिए एडवाइजरी जारी करना।
- आम जनमानस को आपदाओं से बचाव हेतु जागरूक तथा सजग करना।
- बाढ़ तथा जलभराव से प्रभावित होने वाले स्थलों की पहचान तथा जोखिम मानचित्रण।
- जलजनित बीमारियों यथा डेंगू, मलेरिया से बचाव के लिए उपाय।

अभियान

सचेत एप

एप डाउनलोड करने के लिए पत्र जारी

सचेत एप की विशेषताएं



Area Specific तथा आपदा पूर्व चेतावनी प्रदान करने का मंच, एलर्ट जारी करने वाले संस्थान जैसे – आई0एम0डी0, सी0डब्ल्यू0सी0, एफ0एस0आई0, डी0जी0आर0ई0 द्वारा जारी एलर्ट

आपदओं से बचाव हेतु क्या करें और क्या न करें

हेल्पलाइन नंबर

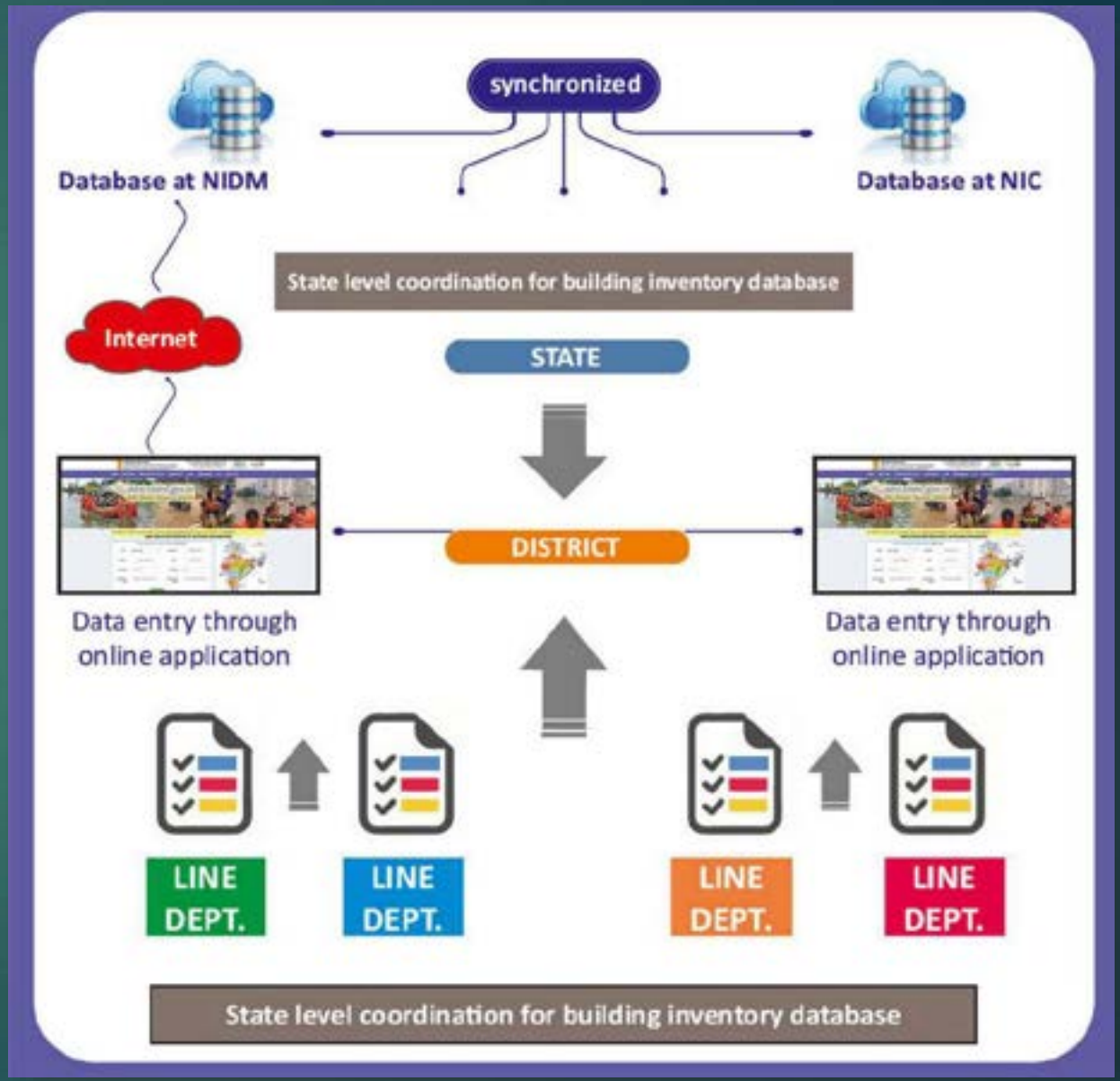
सैटेलाइट रिसीवर कनेक्टिविटी की सुविधा भी है

Geo Targeted, Area Specific, सचेत एप डाउनलोड करने वालों के मोबाइल में Notification, जिससे समय रहते बचाव संभव

India Disaster Resource Network(IDRN)

जनपद / विभाग स्तर पर ऑनलाईन डाटा एंट्री किया जाता है तथा जिलाधिकारी द्वारा जनपद में उपलब्ध समस्त संसाधनों का विवरण अपलोड कराया जाता है।

जिलाधिकारी द्वारा जनपदों से निर्धारित प्रारूप पर विवरण फॉर्म–1, भाग–2, फॉर्म – 2A , 2B, 2C पर



भूदेव ऐप–भूकंप चेतावनी प्रणाली



- भूदेव ऐप को अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल फोन में डाउनलोड करवाने का लक्ष्य।
- विभिन्न समाचार पत्रों में ऐप डाउनलोड करने की प्रकिया से सम्बन्धित विज्ञापनों का प्रकाशन।



खतरे वाले स्थानों पर सेल्फी के लिए एडवाइजरी

खतरे वाले स्थानों पर नो सेल्फी जोन

दिनांक 12 जून 2025 को विस्तृत एडवाइजरी जारी



सुरक्षित सेल्फी जोन घोषित किया जाना

- खतरनाक जल प्रवाह/फिसलन वाले स्थल
- खतरनाक ऊंचाई वाले स्थान
- साहसिक गतिविधियों के दौरान
- चलती ट्रेन के पास
- आपदा प्रभावित क्षेत्र
- सड़कों पर

- सेल्फी/रील बनाने/डूबने के कारण काफी मौतें, स्थिति चिंताजनक
- प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर स्थानों को सेल्फी जोन घोषित किया जाना अथवा उनका चिन्हिकरण
- सेल्फी जोन अथवा नो सेल्फी जोन के लिये साईनेजेज


धन्यवाद